सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली–110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा हेतु प्राथमिक मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

विषय-सूची

		i"B l[;k
	संक्षेपाक्षर	iii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7
अध्याय 4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	19
अध्याय 5	क्षमता विकास	35
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	41
अध्याय 7	प्रशासन एवं वित्त	89
	अनुबंध – I	93
	अनुबंध – II	95

अध्याय 1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र हैः इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनसांख्यिकी और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं में और भी अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं, जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित हैं।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली वाले राहत केंद्रित तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को

कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं :

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ

1.	श्री जी.वी.वी. शर्मा	सदस्य सचिव (29.07.2019) से
2.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015) से
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त)	सदस्य (21.02.2020) से
4.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020) से

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न पक्षों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है।

निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के लिए उपायों के करने अथवा इसका असर कम करने के साथ–साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण,

जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेशज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। चूँकि आपदा एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के विस्तृत संगठन की परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है :

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना ।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून

और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार से है :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

^^jkdFkke] i'keu] r;kjh ,oa ekpu ifjr lLÑfr ds ekè;e ls ,d lexz lfØ;] cgq&vkinkk dsfnzr vkSj ikS|kfxdh lapkfyr j.kuhfr dk fodkl djrs gq, ,d lqjf{kr rFkk vkink ls fuiVus esa i.kZ l{ke Hkkjr dk fuekZ.k djukA^^

अध्याय 3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन–केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। नवंबर, 2019 में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद इसे संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए खतरे (आंधी तूफान, बिजली कड़कना, प्रचंड हवा, धूल तूफान और तेज हवा/बादल फटना और ओला–वृष्टि/हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)/ग्रीष्म लहर/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अपातस्थिति (बीपीएचई)/जंगल की आग), नए अध्याय (2015 वैश्विक ढांचा/समाजिक समावेशी/डीआरआर का मुख्यधारा में लाने के डीआरआर के लिए सुसंगतता और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण शामिल हैं तथा जलवायु के बाद जोखिम सूचित डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन भी शामिल है। इस एनडीएमपी ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए समयबद्ध कार्रवाई चित्रित किया है, ताकि, डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा के साथ मिलान किया जा सके। योजना को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाओं और रणनीतियों को विकसित करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण (मिशन–मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता पर निर्भर रहते हुए, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ–चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

3.4 दिशानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा–वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।

- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटरिंग को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य/मंजिल की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्—क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?—के उत्तर दिए जाने थे।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ चरण

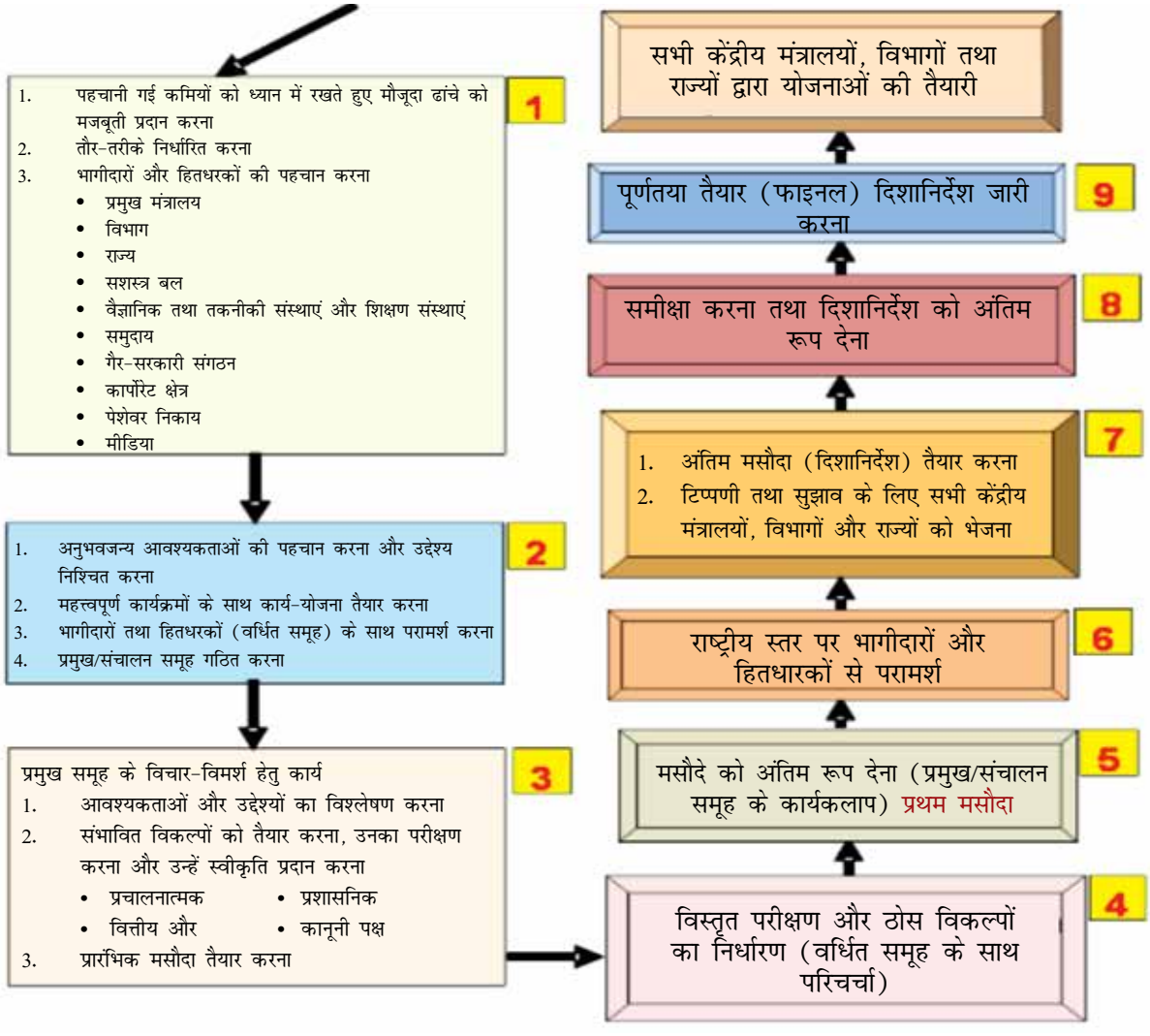

चित्र 3.1

3.5 पिछले वर्षों के दौरान जारी किए गए दिशानिर्देश और रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज :

(i) जारी किए गए दिशानिर्देशः

,uMh,e, }kjk tkjh fd, x, fn'kkfun'kk dh lph		
ØÆlÆ	jk"Vh; vkink icèku fn'kkfun'kk d 'kh"kd	mudk r;kj dju@ tkjh dju dk eghuk rFkk o"k
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना कार्रवाई प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	संग्रहालय	मई, 2017

24.	सांस्कृतिक विरासत स्थल तथा आस–पास का परिसर	सितंबर, 2017
25.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
26.	आंधी–तूफान और बिजली कड़कना/हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी	मार्च, 2019
27.	आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर, 2019
28.	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम में कमी	सितंबर, 2019
29.	भूस्खलन प्रबंधन जोखिम रणनीति	सितंबर, 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी–लू की रोकथाम तथा प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्तूबर, 2019

(ii) जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज :

Ø- lœ	fooj.k
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिकाः भाग I एवं II
7.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों /नियमों /कानूनों /विनियमों /अधिसूचनाओं का सारांश
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद–भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअलः आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना

17.	गुजरात की बाढ़ 2017–एक प्रकरण अध्ययन
18.	खतरा जोखिम निर्माण पर राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम
19.	तमिलनाडु बाढ़ : सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
20.	गजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट – 2018
21.	घर के मालिकों के लिए चक्रवात और भूकंप सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शिका
22.	भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23.	भारत में अग्नि सुरक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)
24.	भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन
25.	विभिन्न आपदाओं पर क्या करें और क्या न करें के लिए पॉकेट बुक
26.	कोविड–19 पर क्या करें और क्या न करें तथा FAQ पर एक डिजिटल किताब
27.	2020 की लू की तैयारी और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट

3.6 वर्ष 2019-20 के दौरान जारी दिशानिर्देश/ रिपोर्टें :

(i) vkink iHkkfor ifjokjks dk fy, vLFkk;h vkJ; dsUnzks ij jk"Vªh; fn'kkfunsZ'k

अस्थायी आश्रय केंद्रों पर दिशानिर्देशों से सभी सरकारी/निजी एजेंसियों को आपदा–पीड़ितों की जरूरतों के मुताबिक अस्थायी आश्रय केंद्रों के निर्माण में सहायता मिलेगी। यह दिशानिर्देश अस्थायी आश्रय केंद्रों के निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री/प्रौद्योगिकी को तय करने में एजेंसियों की मदद करेंगे और आश्रय केंद्रों के निर्माण हेतु अपनाए जाने वाले तरीकों और विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ये दिशानिर्देश अस्थायी आश्रय केंद्रों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह दिशानिर्देश 27 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किए गए थे।

(ii) fnO;kaxrk lekos'kh vkink tksf[ke U;wuhdj.k ¼Mhvkjvkj½ ij fn'kkfunsZ'k

दिव्यांगता समाहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिशानिर्देशों में आपदा प्रबंधन–आपदा–पूर्व, दौरान और पश्चात्–के सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। पूर्व–आपदा चरण के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विशेष तैयारी उपायों पर विचार/ध्यान दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष जरूरत पर आपदा स्थिति के दौरान ध्यान दिया जाएगा। आपदा पश्चात् कार्यकलापों का फोकस दिव्यांगों की जरूरतों पर विशेष फोकस के साथ पुनर्निर्माण, पुनर्वास और स्वास्थ्य–लाभ पहलुओं पर होगा। इन दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक (यूएनआरसी) कार्यालय, नई दिल्ली की सलाह से तैयार किया गया है और ये 27 सितंबर, 2019 को एनडीएमए की 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किए गए थे।

(iii) dk;l ;ktuk dh r!;kjh d fy, jk"Vh; fn'kkfuni'k&y ¼xel ygj½ dh jkdFkke vkj iceku

एनडीएमए ने इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श के बाद 2019 की लू कार्य योजना रोकथाम और प्रबंधन की तैयारी के लिए संशोधित राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी की गई है। ये दिशानिर्देश अत्यधिक गरम लहर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। संशोधित दिशानिर्देश अक्तूबर, 2019 में जारी किया गया है।

(iv) xktk pØokr&2018 ij vè;;u fjikV

आपदा तैयारियों की एक महत्वपूर्ण पहलू सबको सीखने, अंतराल की पहचान करने और सर्वोत्तम अभ्यासों को प्रलेखित करने के लिए प्रत्येक घटना का अध्ययन करना है, ताकि भविष्य की घटनाओं को और भी अधिक कुशल तरीके से नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार, इस अध्ययन रिपोर्ट को तैयरियों में सुधार के साथ–साथ समग्र प्रशासनिक मशीनरी के अनुक्रियाशील तंत्रों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। रिपोर्ट 27 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी की गई थी।

(v) pØokr vkj Hkdi d fy, x`g Lokeh grq ekxnf'kdk

जैसाकि देश के बड़े हिस्से भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, इसलिए लोगों को अपने घरों को भूकंप और बाढ़ रोधी बनाने के लिए सरल, आसानी से समझने वाले सुझावों से अवगत कराने की आवश्यकता है। इस दिशा–निर्देश का उद्देश्य संभावित नुकसान को कम करना है और इसका उपयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और निर्माणों में किया जा सकता है। इससे एक व्यक्ति को भूकंप और चक्रवात रोधी मकान/फ्लैट/भवन का निर्माण/ खरीदना सुविधाजनक हो जाएगा। इस मार्गदर्शिका को दोनों पहलुओं अर्थात् संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। इस मार्गदर्शिका को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर और मद्रास के परामर्श से तैयार किया गया है और यह 27 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।

(vi) Hkkjr e y dh pirkouh rkieku lhek dk vuqeku yxku d fy, ,d ikjfHkd vè;;u

लू को 21वी सदी में संख्या, तीव्रता और अवधि में वृद्धि पर अनुमानित किया गया। एनडीएमए ने 100 भारतीय शहरों के लिए प्रभाव आधारित चेतावनी के लिए अधिकतम तापमान के थ्रेशहोल्ड की एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मौसम संबंधी निर्णय लेने वालों और आम जनता को गर्मी के आसन्न खतरे से बचने के लिए मौसम विज्ञान और गर्मी–स्वास्थ्य चेतावनी देने के लिए एक समग्र उद्देश्य है। शहर के विशिष्ट तापमान थ्रेशहोल्ड विभिन्न तैयारियों और प्रशमन उपायों को करने के लिए विशिष्ट ग्रीष्म लहर की चेतावनी प्रदान करने में मदद कर सकता है। अध्ययन की प्रति सभी राज्यों/संबंधित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों को भेज दी गई है।

(vii) Hkkjr e vfXu lj{kk ¼,uMh,e, d 15o LFkkiuk fnol dh dk;okgh½

दुनिया भर में आग, जान और माल के नुकसान का एक प्रमुख कारण है। अतीत में, भारत ने आग की कई दुखद घटनाओं को देखा है, उदाहरण के लिए उपहार सिनेमा, नई दिल्ली (2007), कुंभकोणम (1997) में स्कूल और कमला मिल्स, मुंबई (2017)। हाल ही में, सूरत कोचिंग–क्लास की आग ने

अग्नि सुरक्षा की तैयारी में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अग्नि जोखिम और अग्नि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विचार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 27 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली के होटल अशोक में 15वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 'अग्नि सुरक्षा' विषय का चयन किया। स्थापना दिवस की विस्तृत कार्यवाही को वेबसाइट पर संकलित और अपलोड किया गया है।

(viii) y|] 2020 dh r|;kjh vk|j i|cèku d| fy, jk"Vªh; dk;|'kkyk dh fjik|V|

रिपोर्ट में 2020 में लू के लिए 5–6 दिसंबर, 2019 को बेंगलुरू में ग्रीष्म लहर की तैयारी प्रशमन और प्रबंधन पर कर्नाटक सरकार के सहयोग से एनडीएमए द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही शामिल है।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

(i) vkink jkgr vk|j cgkyh d| fy, v|rjk"Vªh; lgk;rk Lohdkj dju| ij ekud l|pkyu i|fØ;k ¼,lvk|ih½ dk xBuA

(ii) vkink jkgr vk|j cgkyh d| fy, ?kj|y| lgk;rk@lgk;rk dk| p|uyc) dju| ij ekud l|pkyu i|fØ;k ¼,lvk|ih½ dk xBuA

3.8 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) vfXu l|j{kk ij LFkkiuk fnol dk;|'kkyk

27 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय अग्नि सुरक्षा था। माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

2. समारोह के दौरान निम्नलिखित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए :

i) भारत में अग्नि जोखिम
ii) अग्नि निवारण और प्रशमन
iii) संस्थागत चुनौतियाँ और मुद्दे

हितधारकों ने देश में अग्नि जोखिम, इसकी रोकथाम और प्रशमन, प्रमुख मुद्दों और अग्नि जोखिम में कमी के संबंध में संस्थागत चुनौतियाँ और भविष्य के बारे में चर्चा की गई।

3. डॉ० पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने इस अवसर पर समापन भाषण दिया।

(ii) xh"e ygj ¼y|½ dh r|;kjh] i|'keu vk|j i|cèku ij jk"Vªh; dk;|'kkyk %

एनडीएमए ने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर 2020 में लू के लिए 5–6 दिसंबर, 2019 को बंगलुरू में ग्रीष्म लहर की तैयारी, प्रशमन और प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

2. कार्यशाला के दौरान पांच तकनीकी सत्रों में कई विषयों पर महत्वपूर्ण विचार–विमर्श किया गया। ये इस प्रकार हैं :

- ग्रीष्म लहर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा हुई। ग्रीष्म लहर से संबंधित जोखिम को कैसे कम किया जाए, पर उपाय खोजे गए। पैनलिस्टों ने भारत में स्वास्थ्य पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव और नवीनतम राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के आधार पर गर्मी के लिए कार्य योजना की मुख्य धारा पर चर्चा की।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने लू से संबंधित संदेशों के प्रसार के लिए पूर्व चेतावनी

और पूर्वानुमान और संचार रणनीति पर भी चर्चा की।

- कुछ अति–संवेदनशील राज्यों ने अन्य हितधारकों को गर्मी के लिए अपनी कार्य योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में मदद करने के लिए अपने अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा किया। इन राज्यों की सफलता की कहानियों ने विकसित उन्नत योजना, बेहतर तैयारी और समयबद्ध हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया।

- क्षमता निर्माण और प्रभावी प्रतिक्रिया से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतियां दी गई; और अंतर–एजेंसी समन्वय पर पैनल चर्चा हुई।

3. कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों, ग्रीष्म लहर के विशेषज्ञों, पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान एजेंसियों, राज्य सरकारों, नागरिक सोसाइटी के अनुसंधान संस्थाओं और सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव सीजन, 2020 के प्रबंधन के लिए पूर्व प्रयास शुरू कर दिए थे।

3.9 राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनाना:

36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) तैयार कर ली है और एनडीएमए के साथ साझा किया।

3.10 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना:

(क) आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना–भारत सरकार में विभागों/मंत्रालयों का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना– डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरलीकृत टेम्प्लेट उन मंत्रालयों/विभागों जो आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, के लिए तैयार किया गया है।

(ख) डीएमपी पर मंत्रालयों से बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया है और एनडीएमए की वेबसाइट में नीति और योजना – डीएम प्लान टेम्प्लेट के तहत अपलोड भी किया है।

(ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार ध्यान रखा जा रहा है।

(घ) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया :

1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
2. पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग (अब मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय)
3. परमाणु ऊर्जा विभाग
4. कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय
5. न्याय विभाग
6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(ङ) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की जांच की :

1. रेलवे मंत्रालय
2. अंतरिक्ष विभाग

3. विद्युत मंत्रालय
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
5. इस्पात मंत्रालय
6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
8. भारी उद्योग मंत्रालय
9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
10. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
11. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
12. उर्वरक मंत्रालय
13. नागरिक उड्डयन मंत्रालय
14. दूरसंचार विभाग
15. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
16. खान मंत्रालय
17. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
18. युवा कार्यक्रम विभाग
19. पेय जल और स्वच्छता विभाग
20. संस्कृति मंत्रालय
21. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
22. गृह मंत्रालय (इसके तहत सभी विभागों के लिए)
23. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
24. वाणिज्य विभाग
25. कोयला मंत्रालय
26. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

3.11 कार्यान्वयन के अंतर्गत योजना:

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू किया जाना : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू करने की योजना को वर्ष 2018–19 से तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने हेतु 2010.6 लाख रुपए की लागत पर एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीएमए में एक डीएम व्यावसायिक को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा को लागू करने के लिए उपायों को करने में जिला प्रशासन को सुविधा देंगे/सहायता करेंगे। योजना के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं :

(i) 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को हायर करना।

(ii) 22,000/–रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करना।

(iii) पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास की सीलिंग, दूसरे वर्ष 27,500/–रु. प्रति मास की सीलिंग और तीसरे वर्ष 30,250/–रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ वाहन को किराए पर लेना।

(iv) कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रु. (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

foŸkh; o"kZ	ftu jkT;k@ la?k jkT; {k=k dk fufèk;k tkjh dh xbZ mudh la[;k	Tkkjh dh xbZ dqy jkf'k
2018–19	31 (29 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र)	594.56 लाख रुपए
2019–20	3 (3 संघ राज्य क्षेत्र)	22.16 लाख रुपए
	dqy	616-72 yk[k #i,

(ii) 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण : 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण की योजना को गोवा जहां किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, को छोड़कर सभी राज्यों में तीन वर्षों हेतु लागू करने के लिए 28.98 करोड़ रु. की लागत पर एनडीएमए द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा प्रवण क्षेत्रों में योजना की अवधि के दौरान 70,000/रु. (सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) व्यावसायिक को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का काम करेगा।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

foŸkh; o’kZ	ftu jkT;ksa@ la?k jkT; {ks=ksa dks fufèk;k tkjh dh xbZ mudh la[;k	Tkkjh dh xbZ dqy jkf'k
2018–19	28 राज्य	524.30 लाख रुपए
2019–20	18 राज्य	315.00 लाख रुपए
	dqy	839-30 yk[k #i,

3.12 कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं :

(i) Hkkjr ds pkj 'kgjksa esa yw ls lacfèkr LokLF; [krjksa ds vfr laosnu'khyrk vkSj lhek ¼Fkzs'kgksYM½ dk eY;kadu

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (एनडीएमए) ने दिसंबर, 2019 को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई) हरियाणा, को तात्कालिक 48,98,300/–रुपए के लागत से भारत के चार शहरों अर्थात ओंगले (आंध्र प्रदेश), करीमनगर (तेलंगाना), अंगुल (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में लू संबंधी स्वास्थ्य खतरों के अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन के लिए निर्णय लिया गया है।

इस अध्ययन से देश के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के चपेट में आने पर स्वास्थ्य प्रभाव का आंकलन करेगा। इसके अतिरिक्त देश के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के दबाव का भी आंकलन करेगा और इन चार शहरों में वर्तमान सामाजिक–सांस्कृतिक सरोकारों का मैप तैयार करेगा। यह उन अवसरों और चुनौतियों का पता लगाएगा जो संवेदनशील आबादी गर्मी की लहरों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए सामना कर रही है। इसके अलावा इस अध्ययन से भारत के चार शहरों को इस नीति की जानकारी देने के लिए मजबूत साक्ष्य मिलेंगे जो बदले में वर्तमान स्थिति और बेहतर तैयारी के लिए क्षेत्रवार भारतीय मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेंगे। नीति संबंधी संक्षिप्त सा राज्य विशेष हेतु जो प्रत्येक राज्य के लिए विकसित किया जाएगा, गर्मी की लहर से निपटने के लिए तैयारियों में सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव प्रदान करेगा।

(ii) Hkkjrh; 'kgjksa ds fy, yw laosnu'khyrk efiax vkSj xehZ dh ekMy dk;Z ;kstuk ds fy, :ijs[kk fodflr djuk

एनडीएमए ने भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और माडल गर्मी के लिए कार्य योजना के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर को 46,94,612/–रुपए की अनंतिम लागत सौंप दिया है।

परियोजना के सुपुर्दगी में शामिल हैं :

1. आउटडोर थर्मल कमफर्ट, मौसम संबंधी मापदंडों और रूपात्मक मापदंडों के बीच संबंध दिखाने वाले अध्ययन
2. विदर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए गर्मी संवेदनशीलता मैप
3. किसी चयनित शहर के लिए गर्मी की कार्य योजना
4. एचवी मैपिंक के लिए सामान्य पद्धति
5. मॉडल एचएपी के लिए रूपरेखा

(iii) xqokgkVh Vkmu esa ck<+ iwoZ psrkouh iz.kkyh dk fodkl

एनडीएमए ने गुवाहाटी टाउन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली को वर्ष 2018–19 में 49,20,664/–रुपए की अनंतिम लागत की राशि सौंप दी थी और कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के सुपुर्दगी में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :

1. (i) प्राथमिक और माध्यमिक डाटा संग्रह, सर्वेक्षण और विश्लेषण और (ii) मॉडल स्थापित करना और मॉडल अनुकरण और ट्यूनिंग
2. (i) परिणामों का विश्लेषण और सत्यापन और (ii) आलेखीय उपयोगकर्ता इंटरफेज, जीयूआई प्रशिक्षण, मसौदा और मुख्य निष्कषों और कार्य की समीक्षा के साथ अंतिम रिपोर्ट। गुवाहाटी नगर निगम द्वारा उपयोग की जाने वाली, टीईआरआई द्वारा विकसित बाढ़ चेतावनी प्रणाली, एनडीएमए/असम एसडीएमए को अंतिम उत्पाद सौंपने से पहले टीईआरआई टीम की उपस्थिति में उनके द्वारा चलाई जाएगी।

अध्याय 4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

4.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) (भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।) जो एनडीएमए द्वारा 5232 करोड़ रुपए की समग्र बजट से 8 चक्रवात प्रवण तटीय राज्यों में क्रियान्वयन की जा रही है, परियोजना दो चरणों में विभाजित हैं। चरण–I का परिव्यय 2542 करोड़ रुपए था और चरण–II का 2691 करोड़ रुपए है। चरण–I में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य कवर है, जहां वर्ष 2011 के दौरान कार्य शुरू हुआ और वर्ष 2018 में पूर्ण हुआ। वर्तमान में चरण–II का कार्य जो 2015 में 6 राज्यों अर्थात गोवा, गुजरात, कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, का कार्य चल रहा है।

परियोजना घटक

4.2 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

?kVd d& पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)

?kVd [k& चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा

(i) बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.)
(ii) सुरक्षित निकास हेतु सड़कें
(iii) पुल
(iv) लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स)

?kVd x& जोखिम प्रबंधन, क्षमता निर्माण और ज्ञान निर्माण के लिए तकनीकी सहायता

?kVd ?k& परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन समर्थन

,ulhvkj,eih pj.k&I		
?kVd	ifj;kstuk fooj.k	ifj0;; ¼djkM+ #i,½
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	132.00
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा;	2223.67
	– बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.);	22.41
	– सुरक्षित निकास हेतु सड़कें;	138.64
	– पुल; तथा	24.88
	– लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स);	2223.67
ग	चक्रवात जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	22.41
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	138.64
	अनावंटित आकस्मिकता निधियां	24.88
	योग	2541.60

,ulhvkj,eih pj.k&II		
?kVd	ifj;kstuk fooj.k	ifj0;; ¼djksM+ #i,½
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	267.12
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.); – सुरक्षित निकास हेतु सड़कें; – पुल; तथा – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स); – भूमिगत केबलिंग; – तटीय बेल्ट रोपण/लाइटनिंग अरेस्टर्स	2133.48
ग	चक्रवात जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	105.10
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	135.30
	अनावंटित आकस्मिकता निधियां	50.00
	योग	2691.00

4.3 ,ulhvkj,eih pj.k&I dh dk;kZUo;u ikfLFkfr ¼vkaèkz izns'k vkSj vksfM'kk½

?kVd d ½ ईडब्ल्यूडीएस के संबंध में, 275 चेतावनी साइरन, 476 डिजिटल मोबाइल रेडियो और 34 सेटलाइट टर्मिनल दोनों राज्यों में संस्थापित कर इस तंत्र को चालू कर दिया गया।

?kVd [k ½ एनसीआरएमपी चरण–I के अंतर्गत 535 बहु–उद्देश्य चक्रवात आश्रय–केंद्र, 1086.52 कि.मी. लंबी सड़कें, 34 पुलें और 88.12 कि.मी. लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स) पूर्ण हो चुके हैं। राज्यवार विवरण निम्नलिखित हैः

Øe la-	jkT;	mi&?kVd	dqy fuekZ.k fd;k tkuk gS	lEiw.kZ
1.	ओडिशा	एमपीसीएस (सं०)	316	316
		रोड (कि.मी.)	388.50	388.50
		लवणीय तटबंध (कि.मी.)	58.22	58.22
2.	आंध्र प्रदेश	एमपीसीएस (संख्या)	219	219
		रोड (कि.मी.)	698.02	698.02
		पुल (सं०)	35	34
		लवणीय तटबंध (कि.मी.)	29.90	29.90

?kVd x ¼ निम्नलिखित तकनीकी अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं :

(i) तटीय खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता मूल्यांकन (वेब–सीआरए) (ii) लंबी अवधि का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तैयार करना (iii) आपदा के बाद की मूल्यांकन की आवश्यकता (पीडीएनए) उपकरण और लंबी अवधि बहाली रूपरेखा।

4-4 foŸkh; izcaèku

दिसंबर, 2018 तक 1983.84 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) जारी की जा चुकी है तथा 30 नवंबर, 2019 तक 1963.53 करोड़ रुपए की राशि (भारत सरकार का हिस्सा) खर्च की जा चुकी है।

4-5 ,ulhvkj,eih pj.k&II dh dk;kZUo;u dh fLFkfr ¼xkok] xqtjkr] dukZVd] dsjy] egkjk"Vª vkSj if'pe caxky½

?kVd & d ¼ गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के चार राज्यों ने पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान सहभागी/तकनीकी सलाहकार के रूप में एम/एस टीसीआईएल नियुक्त किए। पश्चिम बंगाल ने अपने ज्ञान सहभागी के रूप में एम/एम पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया जबकि गुजरात ने अपने ज्ञान

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (आंध्र प्रदेश)

पश्चिम गोदावरी जिला में संपर्क सड़क

गुंटूर जिला में पुल

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (ओडिशा)

पुरी जिला में एमपीसीएस

ओडिशा में लवणीय तटबंद का कार्य

सहभागी के रूप में केपीएमजी को। गोवा में सिस्टम इंटीग्रेटर को काम सौंप दिया जबकि अन्य पांच राज्यों में सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति के लिए निविदा स्तर पर है।

?kVd & [k % चरण–II में घटक–ख के तहत एमपीसीएस, सड़क, पुल और लवणीय तटबंध के अतिरिक्त, दो अतिरिक्त प्रशमन कार्यों को शुरू किए गए अर्थात भूमिगत बिजली केबलिंग कार्य और लाइटनिंग अरेस्टर/तटीय बेल्ट रोपण कार्य। सीआरएमआई कार्यों के राज्यवार भौतिक प्रगति निम्नलिखित है :–

Øe lå	jkT;	mi&?kVd	dqy fuekZ.k fd;k tkuk gS	laiw.kZ	fØ;kUo;u ds rgr	fufonk pj.k
1.	गोवा	एमपीसीएस (सं०)	12	0	10	2
		भूमिगत केबलिंग (कि.मी.)	98	0	98	
2.	गुजरात	एमपीसीएस (सं०)	95	28	51	16
		रोड (कि.मी.)	157	157	0	
3.	कर्नाटक	एमपीसीएस (सं०)	11	4	7	
		रोड (कि.मी.)	48	47	1	
		लवणीय तटबंध (कि.मी.)	7			1
4.	केरल	एमपीसीएस (सं०)	17	0	14	3
5.	महाराष्ट्र	एमपीसीएस (सं०)	11	0	0	11
		लवणीय तटबंध (कि.मी.)	29.55 (3 पैकेज)	0	22.26 (2 पैकेज)	7.29
		भूमिगत केबलिंग (कि.मी.)	471	0	471	
6.	पश्चिम बंगाल	एमपीसीएस (सं०)	146	145	1	
		भूमिगत केबलिंग (कि.मी.)	515	0	500	15

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (गुजरात)

सूरत जिले में एमपीसीएस

भरूच जिले में एमपीसीएस

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (पश्चिम बंगाल)

दक्षिण 24 परगना जिले में एमपीसीएस

दक्षिण 24 परगना जिले में एमपीसीएस

?kVd & x\ चरण–II (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन कार्य आयोजित किया जा रहा है :–

क) खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता मूल्यांकन (वेब–डीसीआरए) – इसमें चक्रवात और संबद्ध प्रभावों, जिसमें 13 तटीय राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में तूफानी लहर एवं अंतरराज्य बाढ़ सहित, के लिए वेब–डीसीआरए और डीएसएस उपरकण के विकास शामिल हैं। यह कार्य मेसर्स आरएमएसआई को सौंपा गया और यह प्रगति पर है।

ख) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनएसआरएमपी) – नौ उच्च जोखिम वाले राज्यों अर्थात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन कार्यक्रम का डिजाइन करना। कार्य परामर्शदाता (डीडीएफ–एकेडीएन जेवी) को पहले ही सौंप दिया गया और उनके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। एनएसआरएमपी–II के अंतर्गत पांच और अधिक उच्च जोखिम राज्य (दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, मिजोरम) कवर है। रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) एनएसआरएमपी–II के मूल्यांकन के तहत है।

ग) जल–मौसम विज्ञान संबंधी समुत्थानशीलता कार्य योजना (एचएमआरएपी) – राज्यों को समुत्थानशी कार्ययोजना, जो शहरी क्षेत्रों में चरम मौसम संबंधी घटनाओं पर केंद्रित होगा, तैयार करने में सहायता करना। परामर्श शीघ्र ही प्रदान किय जाएगा।

घ) व्यापक बहु–खतरा जोखिम वित्तीय रणनीति (सीएमएचआरएफएस) की डिजाइनिंग – विभिन्न जोखिम हस्तांतरण वित्तीय तंत्र की पहचान करने और जोखिम वित्तीय रणनीति का विकास करना। आरएफपी चयनित फार्मों को जारी किया गया।

ङ) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण :

i) पांच प्राथमिकता क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय

निकाय, ग्रामीण विकास) के तहत सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है।

ii) आश्रय–केंद्र स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा खोज एवं बचाव कार्य प्रगति पर है।

4-6 foRrh; icèku

मार्च, 2020 तक राज्यों को 1111.87 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) जारी किया गया है और मार्च, 2020 तक 805.30 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) का परिव्यय खर्च किया गया है।

प्रशमन प्रभाग, एनडीएमए द्वारा शुरू की गई पहल

4.7 प्रशमन प्रभाग ने ख्याति संस्थानाओं/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाओं आदि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए क्रॉस कटिंग थीम पर सर्वसमावेशी परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) और अध्ययन शुरू किए। एनडीएमए द्वारा शुरू किए गए विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार है :–

भूकंपः

1. 50 शहरों और एक जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई)

4.8 आईआईआईटी, हैदराबाद द्वारा 50 शहरों और एक जिले के लिए आपदा जोखिम सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए एक पायलट अध्ययन आयोजित किया गया था। इन शहरों को जोन IV और V से चुना गया था और इन शहरों का चयन उच्च जनसंख्या धनत्व और आवास खतरे के कारक आदि पर आधारित था। प्राप्त जोखिम मुख्य रूप से खतरा, अतिसंवदेनशीलता और शहर के विस्तार का संयोजन है और उनको आसन्न जोखिम को रोकने के लिए आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए उचित कार्रवाई करने में उपयोग करना। यह प्रत्येक शहर को अपने आसन्न जोखिम के बारे में सूचना प्रदान करता है और शहरों के बीच जोखिम के अंतर–तुलना करना है।

4.9 भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक का अंतिम रिपोर्ट एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस पर जारी की गई थी। ईडीआरआई के संबंध में संबंधित शहर के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए 9 जनवरी, 2020 को एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, शहरों में भूकंप प्रशमन उपाय अध्ययन के परिणाम के आधार पर किया जाएगा। 9.5 लाख रुपए की अंतिम किश्त आईआईआईटी, हैदाराबाद को जारी किया गया था। इस परियोजना ने परिकल्पित उद्देश्यों और उसके वितरण को प्राप्त किया है।

भूकंप रोधी निर्मित वातावरण हेतु सरलीकृत दिशानिर्देशों/मैनुअल को विकसित करना

4.10 एनडीएमए बीआईएस कोडों और एनबीसी–2016 के आधार पर सरलीकृत दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ संबद्ध किया है, जिनमें कुल–मिलाकर आम आदमी तथा जनता के हित में भूकंप समुत्थानशील निर्माणों की बुनियादी आवश्यकता को स्पष्ट किया गया। इस संबंध में मसौदा दिशानिर्देश कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) के माध्यम से तैयार किया गया।

4.11 4.56 लाख रुपए की लागत से सीबीआरआई, रुड़की के माध्यम से बीआईएस और एनबीसी–2016 की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले व्याख्यात्मक कार्टून को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। सीबीआरआई, रुड़की को 1.83 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।

भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पर्यावरण के लिए कोड निर्माण का सृजन, आविधिक समीक्षा एवं अपडेशन/संशोधन

4.12 बीआईएस की सीईडी 39 समिति के विचार–विमर्श के आधार पर, 'संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र', पाइपलाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस के भूकंपीय डिजाइन 'प्रदर्शन आधारित डिजाइन और भूकंपीय डिजाइन और नई संरचनाओं का

विस्तार–इस्पात वाले भवन' पर आर एंड डी परियोजना के लिए निधिपोषण के लिए बीआईएस ने एनडीएमए को अनुरोध किया।

4.13 आगे, एनडीएमए ने उपरोक्त उल्लिखित 4 कोडों के लिए 35 लाख रुपए का वित्तपोषण करने के लिए निर्णय लिया है। एनडीएमए, बीआईएस और संबंधित आईआईटी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संबंधित आईआईटी को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है और आर एंड डी कार्य संबंधित कोडों के विकास की ओर शुरू कर दिया गया है। कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 7 जनवरी, 2020 को एक परियोजना निगरानी समूह बैठक आयोजित की गई थी। आईआईटी, मद्रास, आईआईटी, रुड़की, आईआईटी, भुवनेश्वर द्वारा संबंधित मानकों पर आर एंड डी कार्य का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया है।

भूकंप इंजीनियरिंग पर संसाधन सामग्री का विकास

4.14 एनडीएमए ने स्नातक स्तर पर भूकंप इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के लिए विषयों को प्राथमिकता देने के बाद विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। कोर ग्रुप की दूसरी बैठक 29.05.2019 को आईआईटी मुंबई में आयोजित की गई थी। बैठक में, पांच विषयों के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है और प्रत्येक विषय के लिए पहचान की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ उप–विषय के संदर्भ में विस्तृत सामग्री विकसित की जा रही है। इसके अलावा 17.07.2019 को एनडीएमए में तीसरी बैठक आयोजित की गई थी ताकि पांच चिह्नित विषयों की विस्तृत सामग्री विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थान और प्रमुख विशेषज्ञों की पहचान की जा सके।

4.15 आईआईटी, मुंबई को 1.924 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रक्षेत्र (डोमेन) विशेषज्ञों के माध्यम से संसाधन सामग्री विकसित करने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में पहचाना गया है। आईआईटी, मुंबई और एनडीएमए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और पहली किश्त जारी की जा चुकी है और आईआईटी, मुंबई द्वारा कार्य शुरू किया गया है। रूपरेखा, एआईसीटीई पाठ्यक्रम के सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई हैं। पहचाने गए प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत सामग्री लेखन प्रगति पर है।

पर्वतीय कसबों में डीआरआर की चुनौतियों पर कार्यशाला

4.16 एनडीएमए ने हिमालयी राज्यों अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए 2 कार्याशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानीय सरकार और शहर के अधिकारियों को उनके निर्मित वातावरण की सुरक्षा को प्रभावित समस्याओं के सामाधान के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में आपदा जोखिम से संबंधित उनके मुद्दों और पहलों को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया जा सके।

4.17 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से 18–19 सितंबर, 2019 के दौरान गेंगटोक में पहली कार्यशाला और 22–23 अक्तूबर, 2019 के दौरान शिमला में दूसरी कार्यशाला की गई थी। इस संबंध में, एनडीएमए ने प्रत्येक संबंधित राज्यों को 10.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी सहायता प्रदान की।

इंजीनियरिंग/आर्किटेक्ट कॉलेजों में भूकंप इंजीनियरिंग संकायों के संसाधन मैपिंग

4.18 भूकंप इंजीनियरिंग संसाधन की मैपिंग 23.5 लाख रुपए की लागत से एमएनआईटी, जयपुर के माध्यम से की जानी है। एनडीएमए और एमएनआईटी, जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर 18.10.2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजनाओं का प्रमुख वितरण भूकंप विशेषज्ञों के डाटाबेस और देश भर में अन्य प्रासंगिक संसाधनों का विकास करना है और भूकंप संसाधन डाटाबेस की मेजबानी के लिए एमआईएस प्लेटफॉर्म का विकास करना है।

4.19 कार्य शुरू करने के लिए 9.4 लाख रुपए की पहली

किश्त जारी की जा चुकी है और एमएनआईटी, जयपुर द्वारा कार्य शुरू किया गया है। 17 मार्च, 2020 को परियोजना की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है।

मेसनरी जीवनरेखा संरचनाओं और आने वाले निर्माणों के भूकंप प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजना

4.20 एनडीएमए ने जीवनरेखा संरचना, जिसमें चिह्नित मेसनरी जीवनरेखा निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रर्दशन इकाई का निर्माण और इंजीनियर, बार बेंडर, कारपेंटरों की क्षमता निर्माण शामिल है, के भूकंप प्रतिरोधी को सुधारने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) शुरू की है।

परियोजना का प्रमुख उद्देश्य हैं :–

- चयनित जीवनरेखा मेसनरी निर्माण की संरचनात्मक की सुरक्षा ऑडिट
- चयनित जीवन रेखा निर्माण की पुनः संयोजन (रेट्रोफिटिंग)।
- भूकंप रोधक प्रतिरोधी तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एक–एक)
- क्षमता निर्माण–इंजीनियर, मेसन, बार बेंडर और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण।

4.21 प्रारंभिक किश्त अर्थात 91 लाख रुपए उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों राज्य और एनडीएमसी, दिल्ली को जारी किए गए हैं।

4.22 त्रिपुरा राज्य ने काम शुरू कर दिया है और 25 मेसनरी भवनों की पहचान की है और आगे डीपीआर तैयार करेगा। इस तरह उत्तराखंड राज्य ने भी भवनों की पहचान की है और एक अस्पताल भवन की डीपीआर पूरी की जा चुकी है।

ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यास का संकलन : पारंपरिक निर्माण अभ्यासों का संवर्धन

4.23 हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण अभ्यासों पर अध्ययन आईआईटी, रुड़की और एईसी, गुवाहाटी के साथ एक सहायता संघ में आईआईटी, रोपर को आबंटित किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय में समकालिक भवनों के प्रकारों, भूकंपीय अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है और इस तरह की भवनों के लिए सुरक्षा उपाय सुझाव देना है। आईआईटी, रोपर द्वारा काम शुरू किया गया है।

4.24 परियोजना शुरू करने के लिए आईआईटी, रोपर को 10 लाख रुपए परियोजना की प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है और समझौता ज्ञापन के अनुसार आईआईटी, रोपर ने रिपोर्ट का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया है।

डीआरआर पर क्षेत्रीय कार्यशाला

4.25 10 और 11 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर, ओडिशा में पूर्वी राज्यों द्वारा सामना किए गए आपदाओं को कम करने के मुद्दों की चर्चा करने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने भाग लिया। इस क्षेत्रीय कार्यशाला में आपदा जोखिम प्रबंधन में जीआईएस के उपयोग के साथ–साथ बाढ़ चक्रवात और भूकंप के प्रशमन से संबंधित मुद्दों और उपायों पर चर्चा की गई।

भूस्खलन :

मेसो लेवल 1:10,000 स्केल उपयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्र और हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी गलियारे (कॉरीडोर) के लिए भूस्खलन सूची तैयार करना।

4.26 एनडीएमए ने दूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (आरएसएसी)–उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के सहयोग से Þesl k yoy 1%10]000 Ldy i;kDrdrk vudy ,y,ptM ekufp=k vkj gfj}kj&cnhukFk jk"Vh; jktekx] mRrjk[kM d rikou&0;klh dkjhMkj d fy, HkL[kyu bUoVjh d l tuß पर प्रायोगिक

परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारत भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी, रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपने इनपुट प्रदान करेंगे। हाई उच्च विभेदन उपग्रह डेटा द्वारा 1:10,000 स्केल के एलएचजेड मानचित्रों और लैंडस्लाइड इनवेंटरी का सृजन किया जाएगा।

4.27 इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत 35,13,000 रु. (पैंतीस लाख तेरह हजार रुपए) है। इसमें से आरएसएसी–यूपी और आईआईटी, रुड़की को 20,52,000 (बीस लाख बावन हजार रुपए) की राशि जारी की जा चुकी है। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

(क) सड़क, बस्तियों, जल–निकासी, सक्रिय स्लाइड आदि की परतों का निर्माण और उच्च विभेदन (हाई रेजोल्यूशन) चित्र की खरीद।

(ख) आरएसएसी–यूपी और जीएसआई (उत्तराखंड राज्य इकाई) की टीम द्वारा अक्तूबर, 2019 को स्थल का दौरा किए गए।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) ने 1:10,000 स्केल आधार मानचित्र और 30 कि.मी. सड़क के 5 मीटर समोच्च अंतराल को 0.5 कि.मी. बफर के साथ तपोवन से व्यासी मार्ग गलियारे तक के लिए डाटाबेस उपलब्ध कराया गया।

(घ) उच्च विभेदन (हाई रेजोल्यूशन) उपग्रह डाटा से भूस्खलन मैपिंग पूर्ण हो चुकी है।

(ङ) अन्य थीम आधारित पर्त की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

(च) आईआईटी, रुड़की द्वारा अध्ययन क्षेत्र से संकलित की गई सैंपलों की जांच कार्य प्रगति पर है।

कम लागत भू-स्खलन निगरानी उपाय का विकास और मूल्यांकन

4.28 एनडीएमए द्वारा माइक्रो–इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित सेंसर प्रौद्योगिकी के माध्यम से भू–स्खलन मॉनीटरिंग के लिए कम लागत सेंसर और अन्य यंत्रों के विकास के लिए आईआईटी, मंडी के सहयोग से Þde ykxr Hkk&L[kyu fuxjkuh mik; dk fodkl vkj eY;kdu ß पर एक प्रायोगिक परियोजना को संस्वीकृत किया गया था।

4.29 परियोजना की कुल अनुमानित लागत 27]85]080 #- (सत्ताइस लाख पिचासी हजार अस्सी रु. केवल) है। जिसमें से 25,99,408 (पच्चीस लाख निन्यान्वे हजार चार सौ आठ रु. केवल), आईआईटी, मंडी को जारी की गई थी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

(क) प्रोटॉटाइप कम लागत एमईएमएस आधारित भूस्खलन निगरानी समाधान (एलएमएस) की विकास प्रक्रिया पूर्ण।

(ख) एलएमएस पर लेब स्केल अनुकरण का प्रदर्शन पूर्ण।

(ग) उपकरण के सतही विनियोजन के साथ स्थल का चयन पूर्ण और घरपा पर्वत स्थल पर उपकरण के उप–सतह विनियोजन कार्य पूर्ण।

(घ) मशीन अध्ययन अलगोरिदम और अंशांकन–सेंसर का सत्यापन प्रगति पर है।

4.30 HkkL[kyu tkf[ke i:'keu ;kstuk ¼,yvkj,e,l½

- एनडीएमए ने एसडीएमए/डीडीएमए के आपदा जोखिम शासन सुधार के तहत "भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)" की अवधारणा और निर्माण की, जो स्थल विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन के लिए भूस्खलन प्रवण क्षेत्र राज्यों को वित्तीय सहायता दे सकें।
- एलआरएमएस भूस्खलन निगरानी, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ भूस्खलन प्रशमन उपायों के लाभों का प्रदर्शन करने की एक प्रायोगिक परियोजना है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- योजना की कुल लागत 43.92 करोड़ रुपए

है, जिसमें से 13.17 करोड़ रुपए सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड, उत्तराखंड को प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई और परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के बाद नगालैंड को दूसरी किश्त के रूप में 3.27 करोड़ रुपए जारी की गई थी।

"भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.31 एनडीएमए ने आईआईटी, सीबीआरआई, सीआरआरआई आईआईएससी आदि विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए ÞHkwL[kyu iz'keu vkSj foLr`r ifj;kstuk fjiksVZ ¼Mhihvkj½ dh rS;kjhß पर दो और पांच दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को एनडीएमए ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भूस्खलन प्रशमन और स्थिरीकरण (स्टैबलाइजेशन) पर डीपीआर तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,

4.32 तदनुसार, बजटीय सहायता के साथ केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली; केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की और एनडीएमए से बिना कोई वित्तीय सहायता के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), नई दिल्ली के सहयोग से वाईएमसीए, नई दिल्ली में पांच दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। सभी पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे।

4.33 अब तक, बजटीय सहायता के साथ आईआईटी–मंडी, (हिमाचल प्रदेश) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर (कर्नाटक) और नेहु–शिलांग (मेघालय) चार 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, सीआरआरआई, सीबीआरआई, एनआईटी–मिजोरम और आईआईटी, रुड़की में भविष्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 दो–दिवसीय और 2 पांच–दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

हिमनदी खतरा एवं जोखिम विशेषकर हिमनदी झील द्वारा विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देशों की तैयारी

4.34 एनडीएमए हिमनदी खतरा एवं जोखिम विशेषकर हिमनदी झील द्वारा विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) और भूस्खलन झील विस्फोट बाढ़ (एलएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए स्विच विकास संघ (एसडीसी), स्विट्जरलैंड, दूतावास, नई दिल्ली के साथ सहयोग कर रहा है।

4.35 orZeku fLFkfr %&

- कार्यबल का गठन
- आईआईसी, नई दिल्ली में 3–4 जुलाई, 2019 को प्रारंभ सह विचार–विमर्श (ब्रेनस्टारमिंग) कार्यशाला आयोजित की गई।
- सितंबर, 2019, दिसंबर, 2019 और फरवरी, 2019 में तीन कार्यबल बैठक की गई।
- कार्य बल के विशेषज्ञ दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार कर रहे हैं।
- अगला विचार–विमर्श (ब्रेनस्टारमिंग) कार्यशाला ऑनलाइन प्लेटफॉम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति

4.36 एनडीएमए ने 27 सितंबरर, 2019 को हुई एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति जारी की। कार्यनीति के दस्तावेज विशेषज्ञों का एक कार्यबल द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति को छह आत्मनिर्भर उप–समूहों के माध्यम से योजनाबद्ध किया गया था। उप–समूहों के छह मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

i. उपयोगकर्ता अनुकूल भूस्खलन संकट मानचित्र तैयार करना

ii. भूस्खलन निगरानी (मॉनीटरिंग) और पूर्व–चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का विकास

iii. जागरूकता कार्यक्रम

iv. हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

v. पहाड़ी क्षेत्र के विनियमों और नीतियों को बनाने की तैयारी

vi. भूस्खलन के स्थिरीकरण और प्रशमन तथा भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष उद्देश्य साधन का सृजन (एसपीवी)

4.37 दस्तावेज सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के बीच आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया था।

नाभिकीय और विकिरणकीय :

विकिरणकीय आपातकालीन प्रबंधन पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण: मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली

4.38 एनडीएमए ने "मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली" नामक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकिरणकीय आपातस्थिति से निपटने हेतु प्रबंधन और प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। परियोजना के तहत 56 चयनित शहरों में पुलिस कर्मियों को गो–नोगो विकिरण मीटर लगाया हुआ गश्ती वाहनों सहित पीपीई, विकिरण जांच यंत्र प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों के कार्यक्रम के प्रशिक्षण के तहत परियोजना में शामिल सभी शहरों के पुलिस कर्मियों के एक अनुपातिक संख्या को बैचों में प्रशिक्षित किया गया है। नियमित जांच और आपातस्थिति प्रबंधन के दौरान एमआरडीएस से निपटने के लिए एसओपी तैयार किए गए और प्रशिक्षकों के कार्यक्रम के प्रशिक्षण में शामिल किया गया।

4.39 परियोजना से सार्वजनिक क्षेत्रों में सीबीआरएन सुरक्षा स्थिति, रेडियो–आइसोटोप के दुर्भावनापूर्ण उपयोग, आरडीडी, परिवहन दुर्घटना अनाथ स्रोतों आदि के खिलाफ महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। यह किसी भी रेडियोसक्रिय सामग्री की तस्करी के खिलाफ एक निवारक के रूप में भी काम करेगा।

हवाई अड्डा और बंदरगाह के लिए सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण

4.40 प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कर्मचारियों को सीबीआरएन घटनाओं के प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिलाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ घटनाओं के बाद यह पहल की गई थी। एनडीएमए ने बंदरगाहों में सुरक्षा अभ्यासों का अंतर विश्लेषण किया, निष्कर्षों के आधार पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शुरूआत की गई थी। कार्यक्रम 12 प्रमुख हवाई अड्डों और 12 बंदरगाहों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एक परियोजना के तहत पहल को अतिरिक्त 30 हवाई अड्डों और 11 बंदरगाहों तक विस्तारित की जा रही है।

एनपीपी वाले जिलों के डीडीएमपी का संशोधन :

4.41 7 जिलों के डीडीएमपी, जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) स्थित हैं, विशेष रूप से समीक्षा की गई और यह पाया गया कि पास के प्रचालनगत एनपीपी में ऑफ साइट परमाणु आपातकाल पर योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। एनपीपी वाले जिलों के डीडीएमपी तैयार करने के बारे में दिशानिर्देश देते हुए एक दस्तावेज तैयार करने का प्रारूप (डीपीपी) तैयार की गई और संबंधित जिलों से डीडीएमपी को संशोधित करने का अनुरोध किया गया। इस प्रयास से दस्तावेजों में पर्याप्त विवरण और एकरूपता आएगा।

विकिरणकीय आपातकालीन स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर मेनुअल का प्रकाशन

4.42 परमाणु और विकिरणकीय आपातकालीन स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर एक किताब फरवरी, 2019 में प्रकाशित हुई थी। मैनुअल, जिससे डोमेन विशेषज्ञों के समर्थन से तैयार किया गया है, का उद्देश्य किसी भी परमाणु या विकिरणकीय आपातकाल के प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक संसाधन मार्गदर्शिका के रूप में सेवा करना है। यह आपातकाल चिकित्सा प्रक्रिया संगठनों के सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी बताता है, जिसमें प्रतिक्रिया प्रारंभिक टीम, मौके पर आपातकालीन चिकित्सा कर्मी और अस्पताल विकिरणकीय प्रक्रिया टीम हैं।

चिकित्सा तैयारी और जैविक आपदाएं

4.43 चिकित्सा तत्परता को बढ़ावा देने और स्कूलों में

तैयारियों की प्रथा को विकसित करने के लिए, एनडीएमए ने भारतीय रैड क्रॉस सोसाइटी के साथ व्यापक प्राथमिक चिकित्सा पर मॉडयूल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की। यह किताबें विद्यार्थियों की आयु–वर्ग के अनुसार सामग्री और भाषा में डिजाइन की गई। 3 माडयूल कक्षा 8–10, कक्षा 11–12 के लिए और फास्ट मोबाइल एप के साथ शिक्षकों के लिए थे, जिसमें बच्चों और माता–पिता दोनों के लिए इंटरफेज था और प्राथमिक चिकित्सा, व्यापक रूप से कवर विषयों, जीवन सुरक्षा, आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें, प्राथमिक चिकित्सा और प्रत्यक्ष एम्बुलेंस कॉलिंग सुविधा के बारे में दिलचस्प तथ्यों से संबंधित विषय शामिल थें।

नाभिकीय और विकिरणकीय आपातकालीन स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर एनडीएमए मेनुअल

4.44 नाभिकीय और विकिरणकीय आपातकालीन स्थितियों के पीड़ितों का प्रबंधन जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इस तरह के मरीजों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार करने के लिए तौर तरीकों पर एक स्पष्ट मार्गदर्शन, विभिन्न जोखिमों, प्रलेखन और औषधियां–विधिक मुद्दों के मामलें में क्या उपचार प्रदान किया जाना चाहिए, एक व्यापक तरीके से विकिरण आपातस्थिति के मरीजों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यापक तरीके से मेनुअल में शामिल किया गया है।

कोविड-19 महामारी

4.45 31 दिसंबर, 2019 को चीनी जनवादी गणराज्य ने पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) देश कार्यालय को वुहान में अज्ञात कारण के निमोनिया का रिपोर्ट किया था और उसके एक महीने बाद 30 जनवरी, 2020 तक दुनिया भर में कुल 7818 मामलों की पुष्टि की रिपोर्ट दर्ज किए गए, जिसमें से केवल 18 अन्य देशों से मामले आए। इस बीमरी की गंभीरता ने डब्ल्यूएचओ को नोवल आउटब्रेक (2019–एनसीओवी), को सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल (पीएचईआईसी) घोषित करने के लिए मजबूर किया, जिसे बाद में 11 फरवरी, 2020 को कोविड–19 के रूप में नाम दिया गया। इसी बीच 30 जनवरी, 2020 को, केरल ने अपने कोविड–19 का पहला मामला दर्ज किया, जो फरवरी, 2020 तक तीन मामलों में बढ़ी–वुहान से लौटे हुए सभी छात्र थें।

4.46 स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, 4 फरवरी, 2020 को एनडीएमए ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की, जो जैविक आपदाओं के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों और कोविड–19 के प्रबंधन के लिए तैयारी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 के अध्याय 7.15 के सिद्धांतों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और अन्य हितधारकों की लक्षित क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। सभी अस्पतालों में पृथक सुविधाओं को बढ़ाया, कोविड–19 में क्या करें और क्या न करें सभी गैर फार्मासिटिकल मध्यस्थों सहित सभी मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सभी भाषाओं में प्रसार किया।

4.47 एक महीने बाद कोविड–19 मामलों के बढ़ते हुए उच्च प्रक्षेपवक्र (ट्राजेक्टरी) के साथ, एनडीएमए की 5 मार्च, 2020 की सलाह ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान रोकथाम योजना पर आकर्षित किया, जो समूह रोकथाम के लिए विशेष संदर्भ के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा निकाला गया था। यह कोविड–19 क्षमता निर्माण उपायों के विभिन्न पहलुओं के लिए फिर से प्रोत्साहन जैसे कि इसके सभी प्रथम मोचकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण, पृथकीकरण पर टेबल टॉप अभ्यास, संगरोध, संक्रमण नियंत्रण, नेटवर्किंग सहित अस्पतालों की बढ़ती क्षमता, सभी क्षेत्रों के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय और जोखिम संचार। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक देखभाल हेल्पलाइन और व्यापार निरंतरता और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के उपायों का समर्थन किया गया।

4.48 21 जनवरी, 2020 से चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ शुरू की गई कोविड–19 के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय शुरू में 7 हवाई

अड्डों पर किए गए, और बाद में इसे महीने के अंत तक 20 हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया। फरवरी, 2020 के दौरान थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया के सभी यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग को बढ़ाया गया था और उसके बाद महीने के अंत में नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया को सूची में जोड़ा गया। इस पृष्ठभूमि के साथ कि, 1 जनवरी, 2020 के बाद से निर्दिष्ट देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उचित प्रवेश स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, 17 मार्च, 2020 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह (एडवाइजरी) जारी की गई थी कि वे इन यात्रियों की चिकित्सा जांच करने के लिए एक तंत्र तैयार करें।

4.49 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड–19 को महामारी घोषित कर दिया क्योंकि महाद्वीपों में इसकी रूग्णता और मृत्यु दर नियंत्रण से बाहर थी। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर, कोविड–19 के प्रसार और गंभीरता के खतरनाक स्तर से दोनों का गहरा संबंध है, इसलिए देशभर में इसके प्रसार को रोकने के लिए और आपदा की स्थिति के प्रकोप को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक समझा गया, जिसके लिए सामाधान के लिए सामाजिक दूरी का समर्थन किया गया था। तदनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) (i) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकार और राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में लॉकडाउन नाम से जाना जाता है।

जीआईएस :

आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए में जीआईएस सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन

4.50 आपदा जोखिम प्रबंधन में जीआईएस की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना "एनडीएमए में जीआईएस सर्वर की स्थापना और जियो–डेटाबेस का सृजन" शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भूस्थानिक डेटा इंवेंटरी, मानचित्र तैयार करना, जीआईएस सर्वर का डेटा एकीकरण और वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म पर अनुप्रयुक्त का विकास करना है। 3.30 करोड़ रुपए कुल लागत की स्वीकृति में से, अब तक 3.10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित कार्य पूरा किया जा चुका है :

(क) जीआईएस साफ्टवेयर का एक वर्ष के तकनीकी सहायता के साथ उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) इमेज प्रोसेसिंग और जीआईएस विश्लेषण को जीआईएस सर्वर में उचित प्रबंधन के लिए सर्वर, रैम–272 जीबी और एसएसडी ड्राइव–11.8 टीबी की स्थापित क्षमता का उन्नयन।

(ग) दस (10) नए डेटा आधारित राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पुडुचेरी, झारखंड, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र के लिए भू–स्थानिक डेटाबेस का एकीकारण।

(घ) एनडीएमए जीआईएस सर्वर में जीआईएस सॉफ्टवेयर नामः परिस्थिति जागरुकता, परिचालनगत प्रतिक्रिया, सड़क बंद करना और संबंधित राज्यों का डीएम पोर्टल के नए वर्जन में वेब एप्लीकेशन का उन्नयन।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस पर हितधारकों की क्षमता निर्माण

4.51 परियोजन का उद्देश्य वर्ष 2019–20 में 11 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए, डीआरआर में जीआईएस के अनुप्रयुक्ता की क्षेत्र में एसडीएमए के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरुकता सृजत करना, क्षमता निर्माण करना है, जिसमें इस योजना के तहत स्वीकृत 6 दो दिवसीय और 5 पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला संस्वीकृत की गई हैं। प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की पहचान

की गई थी अर्थात्, आईआईआरएस, देहरादून, आईआईएसएम, हैदराबाद और एनईएसएसी, मेघालय। इस परियोजना की कुल लागत 2.50 करोड़ रुपए है। तीन वर्षों के लिए 2019–20, 2020–21 और 2021–22, इसमें से संस्थानों को अठारह लाख रुपए जारी किए गए हैं।

I. विभिन्न संस्थानों नामतः भारतीय दूर संवेदी संस्थान, देहरादून भारतीय सर्वेक्षण और मैपिंग संस्थान, हैदराबाद और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयुक्त केंद्र, मेघालय में कुल नौ (9) प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

II. परियोजना के तहत सभी एसडीएमए और अन्य हितधारकों से लगभग 125 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित और लाभान्वित किया गए हैं।

आपदा प्रबंधन के यूएवी/ड्रोन अनुप्रयुक्त पर प्रशिक्षण

4.52 परियोजन का उद्देश्य दो साल 2019–20 और 2020–21 में 5 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए, आपदा प्रबंधन में यूएवी / ड्रोन के अनुप्रयुक्ता की क्षेत्र में एसडीएमए के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरुकता सृजत करना, क्षमता निर्माण करना हैं। प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की पहचान की गई थी अर्थात्, आईआईआरएस, देहरादून और एनईएसएसी, मेघालय। इस परियोजना की कुल लागत 40 लाख रुपए है, इसमें से 5.50 लाख रुपए आईआईआरएस, देहरादून को जारी की जा चुकी है। परियोजना के तहत आईआईआरएस, देहरादून में एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और सभी एसडीएमए और अन्य हितधारकों से लगभग 17 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित और लाभान्वित किया गया है।

क्लाउड आधरित अनुप्रयुक्त सूचना प्रणाली का विकास

4.53 जीआईएस प्रभाग ने एक कोविड–19 डेशबोर्ड विकसित किया है, जो कोविड–19 मामलों की वृद्धि, अवसंरचना, उपलब्धता, परीक्षण सुविधाओं का स्थान, राहत कैंप के स्थान और अन्य विश्लेषण आदि की ट्रैकिंग और निगरानी कर रहा है। जीआईएस पोर्टल को जल्द ही अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेज (एपीआई) का उपयोग और भूस्थानिक प्रारूप के रूप में डेटाबेस का दृश्य के माध्यम से एकीकृत एमओएचएफडब्ल्यू और आईसीएमआर को जल्द ही अनुकूलित किया गया है। निम्न सूचीबद्ध कार्य पूरा किया गया है:

- एनआईसी सर्वर में एनडीएमए जीआईएस पोर्टल चलाने के लिए एनआईसी क्लाउड स्पेस में नई वेबसाइट अर्थात् gis-dm.ndma.gov.in पंजीकृत किया गया है।
- एनडीएमए के लिए एनआईसी क्लाउड पर आबंटित स्थान पर जीआईएस सर्वर डेटाबेस का माइग्रेशन अर्थात् कोरोना विभागीय डेशबोर्ड, राष्ट्रीय माइग्रेंट सूचना प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

सीडीआरआई का उद्घाटन

4.54 प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई की घोषणा की और इस पहल में शामिल होने के लिए दुनिया भर के देशों को आंमत्रित किया।

4.55 सीडीआरआई ने अवसंरचना के आपदा और जलवायु प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाने के लिए तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

क. "समुत्थानशील अवसंरचना : संधारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडा की सफलता की कुंजी", बैठक 25 सिंतबर, 2019 को न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में आयोजित की गई थी। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि, सुश्री ममिमिजुतोरी द्वारा संचालित की गई। इस कार्यक्रम ने ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जापान,

मालदीव, कतर, श्रीलंका, तुर्की, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों से उच्च स्तरीय भागीदारी को आकर्षित किया। इसके अलावा विश्व बैंक की उपराष्ट्रपति (संधारणीय विकास), लाउरा टक, संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव और यूएनडीपी सहायक प्रशासक, सुश्री असाको ओकाई और ग्रीन क्लाइमेट फंड, अनुकूलन और बीमा विकास सुविधा के लिए वैश्विक आयोग से वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

ख. "जलवायु प्रकोप से बचना : ग्लोबल वार्मिंग के युग में समुत्थानशील अवसंचना का निर्माण", कार्यक्रम 12 नवंबर, 2019 को पैरिस में, पैरिस शांति मंच में आयोजित हुआ। कोमोरोस द्वीप समूह के माननीय राष्ट्रपति, कोएन डोएन, ईयू में विकास सहयोग का महानिदेशक और आपदा और जलवायु सहनशीलता पर काम करने वाले अन्य प्रतिष्ठित लोग पैनल का हिस्सा थे।

ग. "समुत्थानशील अवसंरचना : अनिश्चित भविष्य के लिए निर्माण कार्य", 14 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में रैजीना वार्ता में राउंड टेबुल लंच। बैठक में 16 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक मेजबानी देखी गई। सीडीआरई द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों और सहयोगात्मक तरीके से इन्हें अमल में लाने के लिए सर्वसम्मति से व्यापक सराहना की गई।

सीडीआरआई की स्थापना

4.56 भारत सरकार ने जी–20 और गैर जी–20 देशों को सीडीआरआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 16 देशों (एक व्यापक विविधता जी–20, एसआईडीएस, लैंडलॉक वाले देशों को प्रतिनिधित्व करते हुए) और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हुए हैं।

4.57 सीडीआरआई सोसाइटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 03.02.2020 को पंजीकृत किया गया था। सीडीआरआई सोसाइटी, सामान्य निकाय और प्रबंधन समिति की पहली बैठक 25 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी। समिति ने सीडीआरआई सचिवालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न बुनियादी नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाया।

4.58 आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन के शासी परिषद की पहली बैठक 20 मार्च, 2020 को दिल्ली में हुई थी। शासी परिषद ने गठबंधन के सभी सदस्यों को मान्यता दी और सीडीआरआई के तीन साल के कार्यों के कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस बैठक में सीडीआरआई सोसाइटी को सीडीआरआई के सचिवालय के रूप में मान्यता दी गई थी।

सीडीआरआई का कार्यक्रम

4.59 नई दिल्ली में 23–24 जनवरी, 2020 को सीडीआरआई कार्य संबंधी कार्यक्रम पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी बैठक आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में सीडीआरआई के तीन साल के कार्य संबंधी कार्यक्रम में इनपुट प्राप्त करने के लिए चुनिन्दा भागीदार देशों, आपदा जोखिम प्रबंधन एजेंसियों, बहु–पक्षीय विकास बैंकों और संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया।

4.60 सीडीआरआई की एक तीन–वर्षीय कार्य योजना को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और कार्य–योजना के तहत गतिविधियों को शुरू किया गया है। कार्य योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में विद्युत क्षेत्र के सहनशीलता बढ़ाने पर ओडिशा में एक अध्ययन, हवाई अड्डे सहनशीलता कार्यक्रम पर वैश्विक अध्ययन और अवसंरचना सहनशीलता पर एक वैश्विक अग्रणी रिपोर्ट शामिल हैं।

मनोसामाजिक देखभाल और सामाजिक संवेदनशीलता में कमी

4.61 एनडीएमए ने 'मनोसामाजिक देखभाल की तैयारी और मॉड्यूल तथा आईईसी सामग्रियों की तैयारी'

शीर्षक एक परियोजना शुरू की। परियोजना का उद्देश्य भारत में सामुदायिक स्तर पर मनोसामाजिक सहायता के प्रावधान की सहायता के लिए सभी स्तरों राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मनोसामाजिक सहायता उपलब्धकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना। इस तरह के प्रशिक्षण उपकरण संबंधित विभागों, क्षेत्रों और आबादी को शामिल करते हुए संस्कृति, भाषा और विशिष्ट आपदा जोखिमों के लिए व्यापक और संवेदनशील होंगे। परियोजना के लिए मुख्य भागीदार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहन्स) होंगे और एनडीएमए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सहायता के लिए तकनीकी और वित्तीस संसाधन प्रदान करेंगे। निमहन्स तकनीकी भागीदार होगा, जो मॉड्यूल और आईईसी सामग्रियों को डिजाइन, विकसित और मानकीकृत करेगा। मॉडल के चार स्तरों को विकसित किया जाएगा, स्तर 1 (राष्ट्रीय), स्तर 2 (राज्य), स्तर 3 (जिला) और स्तर 4 (ब्लॉक)। परियोजना मार्च, 2020 को शुरू की गई थी।

4.62 आपदाओं में मनोसामाजिक सहायता और मनोस्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश वर्ष 2009 में प्रकाशित किया गया था। यह दिशानिर्देश, आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक सहायता और मनोस्वास्थ्य सेवाओं (पीएसएसएमएचएस) की विशेषताओं और आपदाओं के समय ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। यह संस्थागत और नीतिगत ढांचा प्रदान करते हैं जो आपदाओं के समय पीएसएसएमएचएस के कार्यान्वयन का आवाहन करता है। यह परिचालन ढांचे में अंतराल की पहचान करता है, जो आपदाओं के बाद पीएसएसएमएचएस के प्रावधान को सीमित करता है। यह पीएसएसएमएचएस में आपदा तैयारियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ–साथ आपदा के बाद के चरण में पीएसएसएमएचएस के लिए दिशानिर्देश भी देता है। इस दिशानिर्देश की तैयारी ने देश में पीएसएसमएचएस पहलों के लिए एक रोडमैप और दिशानिर्देश दिए हैं। तथापि कुछ विकास (मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम–2017 को पारित करते हुए, पीएसएसएमएचएस के लिए अवसंरचना और जनशक्ति से संबंधित संसाधनों में बदलाव आदि को दिशानिर्देश के अपडेट की आवश्यकता थी।

4.63 इसको ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप गठिन किया। एनडीएमए दिशानिर्देशों के अध्यतन की चर्चा और प्रारंभ करने के लिए आपदा में मनोसामाजिक सहायता और मनोस्वास्थ्य सेवाओं पर एनडीएमए दिशानिर्देश, दिसंबर, 2019 के अध्यतन पर पहली कोर ग्रुप की बैठक 28 जनवरी, 2020 को एनडीएमए में हुई थी। इस बैठक में संशोधन प्रक्रिया के उद्देश्य और दायरे के साथ–साथ संशोधन के लिए सदस्यों के बीच अध्यायों के आंबटन पर चर्चा हुई।

अध्याय 5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन से संबंधित समाधान किए जाते हैं।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की संकल्पना विकसित करना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रेकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुकरणों (सिमुलेशंस), कृत्रिम अभ्यासों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

भारत के 25 राज्यों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मोचन-कार्य में सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु आपदा मित्र स्कीम

5.3 एनडीएमए ने मई, 2016 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को 1547.04 लाख रुपए की कुल राशि से अनुमोदित किया जिसका केंद्र भारत के 25 राज्यों के 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मोचन के कार्य में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रति जिला 200 स्वयंसेवक) के प्रशिक्षण पर है। योजना के तहत शामिल राज्य हैं : असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। परियोजना की कार्यन्वयन की अवधि 31.12.2020 तक बढ़ाया गया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किश्त और पंजाब और दिल्ली को छोड़कर दूसरी और अंतिम किश्त जारी की गई है।

5.4 अब तक 23 परियोजनाएं राज्य (आंध्र प्रदेश–102, अरुणाचल प्रदेश–91, असम–400, बिहार–400, गुजरात–200, हरियाणा–50, हिमाचल प्रदेश–200, जम्मू और कश्मीर–200, कर्नाटक–200, केरल–200, मध्य प्रदेश–150, महाराष्ट्र–200,

मणिपुर–200, मेघालय–200, मिजोरम–200, नगालैंड–200, ओडिशा–400, सिक्किम–174, तमिलनाडु–200, त्रिपुरा–200, उत्तर प्रदेश–349, उत्तराखंड–200 और पश्चिम बंगाल–400) द्वारा 5116 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

5.5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और मजबूत सिफारिशों के आधार पर, एनडीएमए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को आगे बढ़ाने की योजना भी बना रहा है, ताकि आपदा प्रतिक्रिया, समन्वय, सहायता के जीवन रक्षक कौशल प्रदान करने के लिए देशभर में बाढ़, चक्रवात, भूस्खन और भूकंप प्रवण 350 चुनिंदा अतिसंवेदनशील जिलों में 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020–2021 में शुरू होने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 24.10.2019 को हुई थी।

भारत के 5 राज्यों के 10 बहु-खतरा प्रवण जिलों में 'आपदा जोखिम में सतत कमी' पर परियोजना

5.6 एनडीएमए 5 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझेदारी से "आपदा जोखिम में सतत कमी" परियोजना जून, 2016 से 607.40 लाख रुपए की कुल लागत से क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य समुदाय और स्थानीय स्वसरकार की तैयारी और 10 अत्यधिक बहु–खतरा अतिसंवेदनशील जिले, 5 चुनिंदा राज्यों में 2–2, में प्रतिक्रिया को मजबूत करना। इस परियोजना को 31.03.2020 को बंद कर दिया गया है।

5.7 निधि की प्रथम और दूसरी किश्त सभी राज्यों को वित्तीय वर्ष 2016–2017, 2017–2018, और 2018–2019 में जारी की गई है। निधि की तीसरी/अंतिम किश्त केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जारी की गई है।

5.8 परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियां जैसे–आपदा प्रबंधन (डीएम) टीमों के गठन; सीबीडीएम पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला विशिष्ट कार्य योजना की तैयारी; डीडीएमएपी और एसडीएमएपी का अद्यतन; डीआरआर पर हितधारकों का प्रशिक्षण; डीआरआर/बहाली योजना की तैयारी; विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम; सीबीडीएम पर टीओटी; सरकारी अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठन; डीएम टीम सदस्यों का प्रशिक्षण; और कृत्रिम अभ्यासों का आयोजन शुरू किया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आईएएस अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण

5.9 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के सहयोग से परियोजना को जनवरी, 2018 में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान 189.36 लाख रु. की कुल लागत से सीडीएम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर क्षमता निर्माण में 2850 (लगभग) आईएएस/केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना के लिए, 12.02.2018 को सीडीएम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और एनडीएमए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

5.10 परियोजना के तहत आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को 1,69,49,152/रु. जारी किए हैं। अब तक, कुल 2655 अधिकारियों वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 में 2115 और वित्तीय वर्ष 2019–20 में 540 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। दो केस अध्ययन केरल बाढ़, 2018 : प्रशमन

कार्यनीति के कारणों और जोखिम पर जांच और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू प्रबंधन : लू दिशानिर्देशों और कार्य योजना की प्रभावकारिता, इसके तहत तैयार की गई।

समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर

5.11 मंगोलिया की राष्ट्रीय आपाताकालीन प्रबंधन एजेंसी (एनईएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के बीच आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में 20.09.2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के दायरे में गतिविधियों की एक मसौदा योजना तैयारी की गई है और विभिन्न हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

दूसरा बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास :

5.12 भारत ने दूसरा बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास और बिमस्टेक देशों के एनडीएमए/एनडीएमएओ की एक आधा दिवसीय नीति बैठक और भारतीय आपदा प्रबंधन पर पहली बिमस्टेक अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूहों की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। दिनांक 15–16 नवंबर, 2019 को पुरी, ओडिशा में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य अभ्यास बिमस्टेक देशों की एनडीएमए/एनडीएमएओ की आधा–दिवसीय नीति बैठक क्रमशः 11–12 फरवरी, 2020 को और 13 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी। आपदा प्रबंधन पर पहली बिमस्टेक अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह भी 14 फरवरी, 2020 को पुरी/भुवनेश्वर, ओडिशा में तय किया गया था। तथापि, बिमस्टेक देशों से नामांकन न मिलने के कारण इसे संचालित नहीं किया जा सका।

'शहरी भूकंप खोज और बचाव-2019 पर एससीओ संयुक्त अभ्यास' (एससीओ सं. अभ्यास-2019) :

5.13 दिनांक 23–25 अगस्त, 2017 के दौरान किर्गिजस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एससीओ देशों के आपदा निवारण विभागाध्यक्षों की 9वीं बैठक के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 21–24 फरवरी, 2019 को एससीओ सदस्य देशों के लिए शहरी भूकंप खोज और बचाव पर एक संयुक्त एससीओ कृत्रिम अभ्यास और 24 फरवरी, 2019 (अपराह्न) को एक विशेषज्ञ स्तर की बैठक और 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य राज्यों के आपदा निवारण के विभागाध्यक्षों की 10वीं बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में 1–2 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। तैयारी बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिनांक 6–8 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में एनडीआरएफ द्वारा एक तीन दिवसीय संयुक्त एक्सकोन बैठक सह–एससीओ संयुक्त अभ्यास 2019 का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सहित छः (6) एससीओ सदस्य राज्यों ने भाग लिया। तथापि, फरवरी, 2019 को पुलवामा त्रासदी के लिए आयोजित राष्ट्रीय शोक के कारण यह कार्यक्रम बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया और संयुक्त एससीओ कृत्रिम अभ्यास–2019, विशेषज्ञ स्तर की बैठक और एससीओ सदस्य राज्यों के आपदा निवारण के विभागाध्यक्षों की 10वीं बैठक दिनांक 4–7 नवंबर, 2019; 7 नवंबर, 2019 (अपराह्न); और 8 नवंबर, 2019 को क्रमशः सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

बिजली गिरने और आंधी-तूफान के द्वारा अत्यधिक प्रभाव वाले राज्यों के साथ और लू और बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग :

5.14 दिनांक 30.04.2019 को बिजली गिरने और आंधी–तूफान तथा लू और बाढ़ द्वारा अत्यधिक प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और तैयारी उपायों पर समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 12 अत्यधिक प्रभावित राज्यों के अधिकारियों और रेजीडेंस कश्मिनर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शीत लहर से प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और शीत लहर के निवारण और प्रबंधन पर मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठक :

5.15 12 शीत लहर प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रेजीडेंस कश्मिनर और प्रतिनिधियों के साथ–साथ कृषि एवं किसान मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के प्रतिनिधियों के साथ 9 जनवरी, 2020 को एक समीक्षा बैठक हुई थी। शीत लहर के निवारण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और आवश्यक सावधानियों और प्रशमन उपायों पर समीक्षा की गई।

कार्य योजना-आंधी-तूफान एवं बिजली गिरने के रोकथाम और प्रबंधन की तैयारी के लिए दिशानिर्देश:

5.16 एनडीएमए ने पत्र दिनांक 05.03.2020 के द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंधी–तूफान एवं बिजली गिरने के रोकथाम और प्रबंधन के संदर्भ में कार्य योजना संशोधित करने और सभी हितधारकों की सूचना के लिए कार्य योजना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया।

5.17 एनडीएमए ने पत्र दिनांक 18.03.2020 के द्वारा आंधी–तूफान और बिजली गिरने पर क्या करें और क्या न करें युक्त टीवीसी और पॉकेट बुक साझा किया और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के बीच प्रचार करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को, यदि आवश्यक हो, तो टीवीसी को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने का अनुरोध किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता

एनडीएमए में विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

क) दिनांक 17.06.2019 को एक जापानी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 10 सदस्य थे, ने मूर्त सहयोग (आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए तीसरा इंडो–जापान कार्याशाला का समापन) के लिए बैठक पर विचार–विमर्श के लिए एनडीएमए का दौरा किया था।

ख) दिनांक 18.06.2019 को एक गाम्बियाई प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 25 सदस्य थे, ने आपदा प्रबंधन पर एनडीएमए के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया। गाम्बियाई प्रतिनिधिमंडल का दौरा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। जिसका उद्देश्य अपने प्रतिनिधियों को स्थल प्रशासन के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना था।

ग) दिनांक 23.08.2019 को एक जाम्बियाई प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 5 सदस्य थे, ने भारत सरकार की पहलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

घ) दिनांक 17.09.2019 को एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 07 सदस्य थे, ने एनडीएमए के साथ भविष्य में सहयोग के लिए अवसरों के बारे में जानकारी के लिए, आपदा प्रबंधन पर एनडीएमए के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

ड.) दिनांक 24.09.2019 को एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 05 सदस्य थे, ने आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एनडीएमए के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

च) दिनांक 25.09.2019 को मालदीव से एक 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, स्थल प्रशासन पर एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षक, ने आपदा प्रबंधन पर देश–विदेश के अनुभव, संस्थागत प्रबंधन और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए एनडीएमए के उच्च

अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

छ) दिनांक 03.10.2019 को एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 3 सदस्य थे, ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ संभावी भविष्य गतिविधियों पर बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

ज) दिनांक 15.11.2019 को नेपाल के एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली के क्षेत्र में देश–विदेश के अनुभव, संस्थागत प्रबंधन और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

झ) दिनांक 18.11.2019 को भूटानी मीडिया के एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आपदाओं के विभिन्न चरणों के दौरान देश–विदेश के अनुभव, संस्थागत प्रबंधन और मीडिया की भूमिका को साझा करने के लिए एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

ञ) दिनांक 22.11.2019 को एक वियतनामी 08 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहकारिता के क्षेत्र में देश–विदेश के अनुभव, संस्थागत प्रबंधन सर्वोत्तम अभ्यासों और अधिक जानकारी को साझा करने के लिए एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

ट) दिनांक 28.11.2019 को मालदीव से एक 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल स्थल प्रशासन पर एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षक ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

ठ) दिनांक 09.11.2019 को चीन के एक 08 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

एनडीएमए के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरे

क) श्री सुशांत कुमार जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए ने 29.04.2019 से 02.05.2019 तक वेलिंग्टन, न्यूजीलैंड में भू–खतरा जोखिम प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण पर वार्षिक दक्षिण से दक्षिण शिक्षा कार्यशाला में भाग लिया।

ख) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 13.05.2019 से 17.05.2019 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच के छठे सत्र में भाग लिया।

ग) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 03.07.2019 को लंदन में बढ़ती हुई जलवायु–समुत्थानशील भविष्य के लिए कार्य करने संबंधी बैठक में भाग लिया।

घ) श्री समीर कुमार, उप–परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी ने 22.07.2019 से 24.07.2019 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आपाताकालीन संचालन केंद्र पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

ङ) श्री रमेश कुमार जी., संयुक्त सचिव (प्रशा./सीबीटी), एनडीएमए ने दिनांक 21.08.2019 को दुशांबे, तजाकिस्तान में एसएफडीआरआर के डीआरआर एवं क्रियान्वन पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

च) श्री विजय सिंह, नेमिवाल, संयुक्त सलाहकार (प्रशमन), एनडीएमए ने 28.08.2019 से 30.08.2019 तक बैंकॉक, थाईलैंड में डीआरआर समिति के छठे सत्र में भाग लिया।

छ) डॉ. पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (प्रचालन), एनडीएमए ने 01.09.2019 से 02.09.2019 तक मकरान क्षेत्र, मस्कट, ओमान में सुनामी स्थल के निकट पर उच्चस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

ज) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 21.09.2019 से 25.09.2019 तक न्यूयॉर्क,

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) पर चर्चा के एक कार्यक्रम में भाग लिया।

झ) श्री संदीप पौंड्रिक, संयुक्त सचिव (प्रशमन), एनडीएमए ने 2–3 अक्तूबर, 2019 को सीबीआरएन आतंकवादी हमले के प्रकार पर क्षेत्रीय संकट प्रबंधन अभ्यास; 1 अक्तूबर, 2019 को नागरिक सुरक्षा और संकट प्रबंधन के लिए फ्रांस महानिदेशालय (डीजीएससीजीजी) के साथ द्विपक्षीय बैठक पर और 4 अक्तूबर, 2019 को किसी सीबीआरएन पर प्रतिक्रिया के लिए पुलिस के प्रशासकीय क्षेत्र, उपयोग की गई सामग्री और उपकरण की प्रस्तुतिकरण में भाग लिया।

ञ) ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार, (प्रचालन), एनडीएमए ने 15–16 अक्तूबर, 2019 को बैंकॉक, थाईलैंड में दक्षिण एशिया में आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (पीईईआर) की क्षेत्रीय योजनान्वयन बैठक में भाग लिया।

ट) श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए ने 28.10.2019 से 01.11.2019 तक बीजिंग, चीन में स्तानबुल प्रक्रिया के आपदा जोखिम शासन पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

ठ) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 07.11.2019 को बैंकॉक, थाईलैंड में एडीपीसी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक में भाग लिया।

ड) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 11–13 नवंबर, 2019 को फ्रांस में पेरिस शांति फोरम में भाग लिया।

ढ) डॉ. वी. तिरुपुगल, अपर सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए और डॉ. पवन कुमार, संयुक्त सलाहकार (प्रचालन), एनडीएमए ने 2019 तकनीकी फोरम : 5–से 7 नवंबर, 2019 को बॉन, जर्मनी में अत्यधिक अतिसंवेदनशील के जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क निगरानी (एसएफएम) प्रक्रिया के योगदान में भाग लिया।

ण) श्री नवल प्रकाश, संयुक्त सलाहकार (सीबीटी), एनडीएमए, ने 23 जनवरी से 26 फरवरी, 2020 को होनोलुलु, हवाई (यूएसए) में सुरक्षा अध्ययन के लिए डेनियल के. इनोये एशिया पेसेफिक केंद्र (डीकेजे एपीसीएसएस), व्यापक संकट प्रबंधन (सीसीएम) 20–I पर कोर्स में भाग लिया।

अध्याय 6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) किसी भी खतरे या आपदा की स्थिति की प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त तंत्र है। यद्यपि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आईआरएस को निर्दिष्ट किया है और अन्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, केवल अधिसूचना से कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया की संभावना नहीं की जा सकती। यह वह जगह है जहां कृत्रिम अभ्यास आती है, वे आईआरएस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक इष्टतम लागत प्रभावी साधन प्रदान करती है, इसे कैसे लागू करें, घटना प्रतिक्रिया टीमों (आईआरटी) और संबंधित कार्यबल/समूहों की तैयारी और उपयोग और समग्र रूप से किसी आपदा स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के क्षमता निर्माण के लिए, कैसे लागू करें, उपयोग करें, इसके लिए एनडीएमए का संचालन प्रभाग बहु–राज्य, राज्य और विशेष मामलों में जिला स्तर पर भी कृत्रिम अभ्यास का संचालन कर रहा है। आईआरएस पर स्टैंड–अलोन प्रशिक्षण राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्पष्ट अनुरोध पर भी आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कृत्रिम अभ्यास राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, और विशिष्ट मामलों में, विशिष्ट जिले के खतरा जोखिम संवेदीकरण के आस–पास आधारित है। अब तक, एनडीएमए के संचालन प्रभाग ने पूरे भारत में लगभग 923 कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया गया।

6.2 किसी कृत्रिम अभ्यास का उद्देश्य हैं–(i) राज्य और जिलों के साथ–साथ प्रत्येक विभाग की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा करना; (ii) आईआरएस के अनुसार आपदाओं के प्रबंधन में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को उजागर करना; (iii) जिला स्तर पर आपातकालीन सहायता कार्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना; और (iv) संसाधन, जनशक्ति, संचार, प्रतिक्रिया क्षमता आदि में अंतराल, यदि कोई हो, को पहचाना। कृत्रिम अभ्यास एक मजबूत प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर साल वार्षिक कैलेंडर के निर्माण के साथ शुरू होता है और निम्नलिखित अनुक्रम में आयोजित किया जाता है :–

pj.k	dk;Øe
चरण– I	• vkbZvkj,l ij izf'k{k.k। इसमें शामिल है :– o Hkkx&I : आपदा प्रबंधन के महत्व को दोहराना, सतत विकास से इसका जुड़ाव और भारत का त्रि–स्तरीय आपदा प्रक्रिया तंत्र। o Hkkx&II : घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण। o Hkkx&III : परिस्थितिजन्य जागरूकता का निर्माण, संसाधन मैपिंग आदि सहित आपदा प्रबंधन की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाया जाए। • vfHkfoU;kl ,oa leUo; lEesyu (इसमें कृत्रिम अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर–तरीकों और तैयारियों पर चर्चा और अंतिम रूप दिया गया है)।
चरण– II	Vscy&VkWi vH;kl
चरण– III	Ñf=e vH;kl

वित्तीय सहायता

6.3 कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के साथ पोषित किया गया है, जिसमें एनडीएमए द्वारा कृत्रिम अभ्यास के आयोजन के लिए प्रति जिले 1 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–2019 और वित्तीय वर्ष 2019–2020 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमशः 2.55 करोड़ रुपए और 1.59 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

कृत्रिम अभ्यास

6.4 वित्तीय वर्ष 2019–2020 में एनडीएमए का प्रचालन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए गए :

fnukad	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
10–27 जून 2019 28 जून 2019	jkT; % राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ifjn'; % भूकंप dk;Øe % बहु–राज्य कृत्रिम अभ्यास • समन्वय सम्मेलन और टेबल–टॉप अभ्यास (प्रत्येक राज्य में अलग–अलग) • कृत्रिम अभ्यास	भूकंपीय क्रियाशीलता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जोखिम संवेदनशीलता को देखते हुए, एनडीएमए ने एक बहु–राज्य कृत्रिम अभ्यास आयोजित की, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ, सीएपीएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों आदि के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 11 जिलों, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों और हरियाणा के 4 जिलों (कुल : 18) शामिल थे। सोहना फॉल्ट के साथ भूकंप का अनुकरण करते हुए एक कृत्रिम अभ्यास को अन्य विभिन्न उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और यूपीएसडीएमए के उपाध्यक्ष के द्वारा निरीक्षण किया गया था।

दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय सम्मेलन

दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टेबल-टॉप अभ्यास

दिल्ली राज्य ईओसी में माननीय उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, दिल्ली, और सदस्य एनडीएमए

हरियाणा राज्य ईओसी (चंडीगढ़) में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, और अन्य हितधारक

गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य ईओसी

फरीदाबाद में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास

अस्पताल में सृजित सर्ज क्षमता और ट्रॉमा रिसेप्शन

चयनित मीडिया रिपोर्ट्स

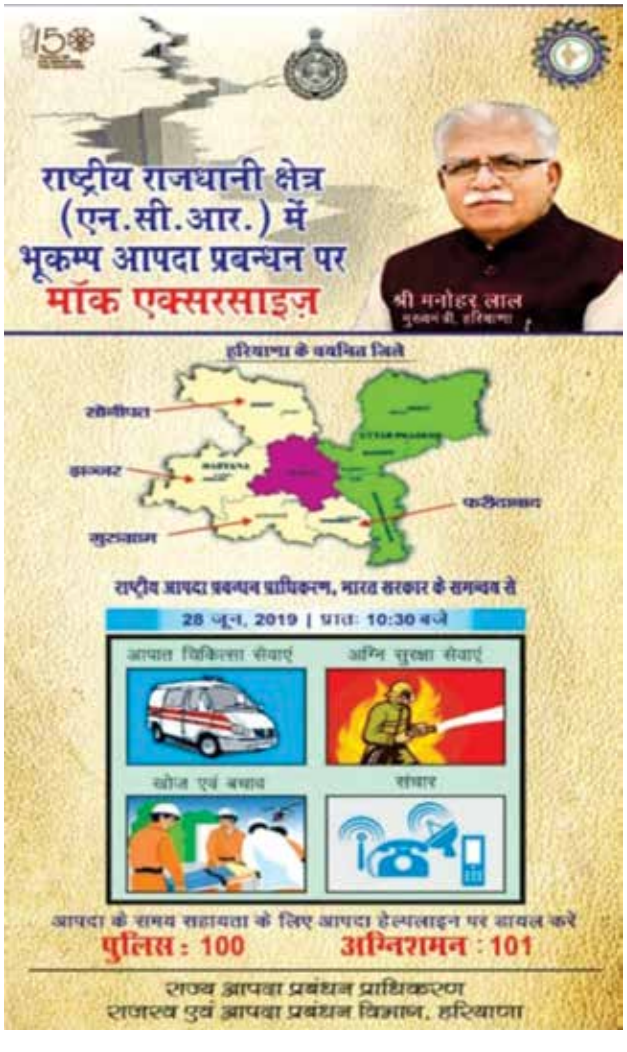

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
21–27 जून 2019	jkT; % पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य ifjn'; % बहु–खतरा dk;Øe % अमरनाथ जी यात्रा–2019 से पहले बहु–खतरा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण • आईआरएस पर प्रशिक्षण • समन्वय सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	आपदा प्रबंधन पर यह प्रशिक्षण श्री अमरनाथ यात्रा से पहले का वार्षिक कार्यक्रम रहा । जून, 2019 में भी तीर्थ मंडल (श्राइन बोर्ड) और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर के माननीय राज्यपाल के विशेष अनुरोध से एनडीएमए ने इस यात्रा के प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण यात्रा के दोनों मार्गों अर्थात् बालटाल एक्सिस (जिला गांदरबल) और पहलगाम एक्सिस (जिला अनंतनाग) अलग–अलग आयोजित किए गए थे। कृत्रिम अभ्यास जिसकी अध्यक्षता प्रत्येक जिले के डीसी द्वारा की गई और राज्यों और जिला प्रशासनों से, तीर्थ मंडल (श्राइन बोर्ड) के अधिकारियों और उनके आपातकालीन मोचन बलों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और सामुदायिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

समन्वय सम्मेलन

टेबल टॉप अभ्यास

कृत्रिम अभ्यास

fnukd	jkT;] vkinkk ifjn'; vkj dk;Øe	fVIIkf.k;k
   03 जुलाई 2019 10 जुलाई 2019 11 जुलाई 2019	jkT; % हिमाचल प्रदेश ifjn'; % भूकंप dk;Øe % राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास • समन्वय और अभिविन्यास सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	एनडीएमए और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर यह कृत्रिम अभ्यास सभी 12 जिलों में एक साथ आयोजित की। राज्य स्तर पर इसकी प्रक्रिया की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव, श्री बी.के. अग्रवाल ने की थी। कृत्रिम अभ्यास में राज्य और जिले स्तर के सभी हितधारकों के साथ–साथ एनडीआरएफ, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और सीएपीएफ ने भाग लिया।

श्री बीके अग्रवाल, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में समन्वय सम्मेलन

शिमला में टेबल-टॉप अभ्यास

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास

fnukad	jkT;] vkink ifjn'; vkSj dk;ZØe	fVIif.k;k
10 जुलाई 2019 17 जुलाई 2019 18 जुलाई 2019	jkT; % उत्तर प्रदेश ifjn'; % बाढ़ dk;ZØe % राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास • समन्वय और अभिविन्यास सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	हर साल, भारत का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। इसलिए संभावित रूप से प्रभावित होने वाली राज्य सरकारों और जिलों को इस बारम्बार आने वाली आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के एसडीएमए से एक अनुरोध के फलस्वरूप एनडीएमए ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण 40 जिलों में कृत्रिम अभ्यास आयोजित की। राज्य और जिला प्रशासनों के सभी हितधारकों और भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ और सीएपीएफ की टीमों ने हिस्सा लिया। कृत्रिम अभ्यास का निरीक्षण श्रीमती स्वाति सिंह, राज्य मंत्री बाढ़ नियंत्रण (स्वतंत्र प्रभार) और श्री अनूप चंद्र पांडेय, मुख्य सचिव ने किया। अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. साही (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, यूपी–एसडीएमए; श्री सुधीर सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव; श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव एवं राहत आयुक्त, ने उपस्थिति दी। एनडीएमए का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मारवाह, सदस्य (सेवानिवृत्त); ब्रिगेडियर अजय गंगवाल, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार); मेजर जनरल वी.के दत्ता (सेवानिवृत्त), वरिष्ठ परामर्शदाता; और कर्नल अमित खोसला, संयुक्त सलाहकार ने किया।

समन्वय सम्मेलन में माननीय राज्यमंत्री श्रीमती स्वाति सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टेबल-टॉप अभ्यास

कृत्रिम अभ्यास

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
04 जुलाई 2019 02–05 अगस्त 2019	jkT; % तमिलनाडु और पुड्डुचेरी ifjn'; % चक्रवात एवं शहरी बाढ़ dk;Øe % भारतीय नौसेना के नेतृत्व में, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारियों और एनडीएमए द्वारा राज्य–स्तरीय संयुक्त एचएडीआर अभ्यास किया • समन्वय सम्मेलन • वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास	भारतीय नौसेना के नेतृत्व में इस राज्य–स्तर एचएडीआर अभ्यास में चेन्नई और पुड्डुचेरी के जिलों से और तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी के सभी राज्य स्तर और जिले स्तर के हितधारकों ने भाग लिया था। यह स्मरणीय है कि माननीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर, 2015 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दौरान निदेशित किया कि सशस्त्र बलों द्वारा सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त मानवता सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास आयोजित किया जाए।

दृश्य-संयुक्त एचएडीआर

fnukd	jkT;] vkink ifjn`'; vkj dk;Øe	fVIIkf.k;k
17–18 सितंबर 2019	dsn 'kkflr ins'k % अंडमान एवं निकोबार dk;Øe % घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) पर राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण	माननीय उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृत्त) के अनुदेश पर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और इसके तीन जिलों के अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में आपदाओं के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की तैयारी का मूल्यांकन भी शामिल था।

पोर्ट ब्लेयर, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
25 सितंबर 2019 10 अक्तूबर 2019 11 अक्तूबर 2019	jkT; % गुजरात ifjn' % भूकंप/रासायनिक औद्योगिक आपदा dk;Øe % राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास • समन्वय सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	गुजरात एक उच्चतम औद्योगिक राज्य है। इसलिए एनडीएमए द्वारा राज्य प्रशासन के सहयोग से एक राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास और गुजरात के 6 जिलों (जैसे, जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरुच और वलसाड) में 216 प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) उद्योग आयोजित किये गए थे।

समन्वय सम्मेलन

टेबल-टॉप अभ्यास

प्रतिक्रिया (ऑन-साइट और आफॅ-साइट)

fnukd	jkT;] vkink ifjn';; vkj dk;Øe	fVIif.k;k
19–21 अगस्त 2019 22–25 अक्तूबर 2019	jkT; % पंजाब ifjn';; % योजनाबद्ध सामूहिक समारोह में बहु–खतरा और भीड़ प्रबंधन dk;Øe % बहु–जिला कृत्रिम अभ्यास • आईआरएस और भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण • समन्वय सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	नवंबर, 2019 में पंजाब राज्य को गुरु नानक देव जी के 550वें जयंती समारोह की तैयारी की सहायता के लिए एनडीएमए ने अगस्त, 2019 से शुरूआत करके पंजाब सरकार के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण, जो समयबद्ध तथा जनसभा कार्यक्रम के दौरान खतरा/आपदाओं के आस–पास आधारित एक दिवसीय–लंबी कृत्रिम अभ्यास के समापन में शामिल थे :– • आईआरएस और "सरकार का समग्र दृष्टिकोण" की आवश्यकता। • भीड़ प्रबंधन पर एकीकृत दृष्टिकोण। • भीड़ प्रबंधन में आईसीटी का उपयोग।

घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण, जिला कपूरथला (20 अगस्त, 2019)

टेबल-टॉप अभ्यास (22 अक्तूबर, 2019)

कृत्रिम अभ्यास, सुल्तानपुर लोधी (25 अक्तूबर, 2019)

डीब्रीफिंग-25 अक्तूबर, 2019 (सुल्तानपुर लोधी)

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
07 नवंबर 2019 08 नवंबर 2019 09 नवंबर 2019	jkT; % मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली कैंट ifjn'; % सीबीआरएन dk;Øe % संयुक्त अभ्यास : • समन्वय एवं अभिविन्यास सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र में एनडीएमए और दिल्ली एसडीएमए के सहयोग से किसी सीबीआरएन घटना की प्रतिक्रिया का अनुकरण करते हुए एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित की। कृत्रिम अभ्यास में भारतीय सेना, आईएनएमएएस, एनडीएमए और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आपदा प्रबंधकों ने भाग लिया।

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास-सीबीआरएन प्रतिक्रिया

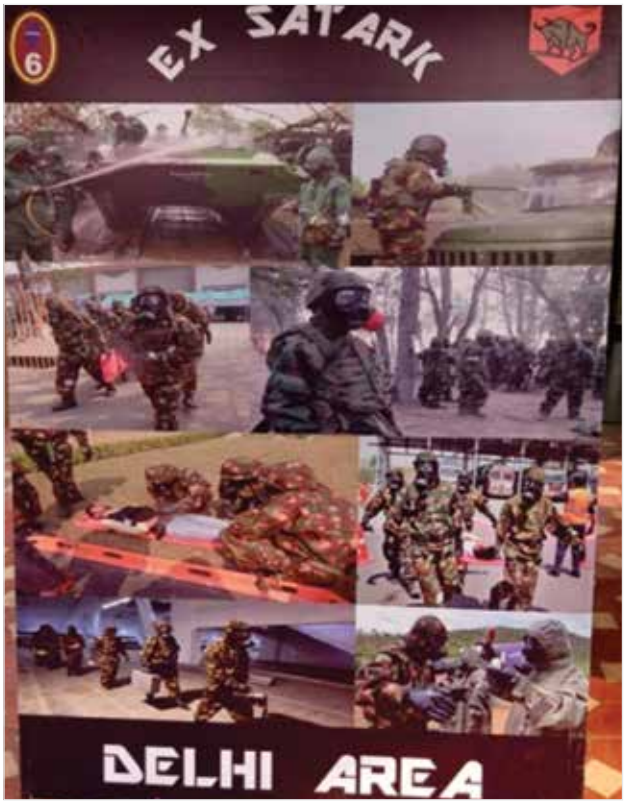

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
14 नवंबर 2019	jkT; % मणिपुर ifjn'' ; % भूकंप dk;Øe % राज्य–स्तरीय : • समन्वय एवं अभिविन्यास सम्मेलन • कृत्रिम अभ्यास–LFkfxr dj fn;k	एनडीएमए ने मणिपुर राज्य जो भूकंपीय क्षेत्र V में पड़ता है, में एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई थी। तथापि, राज्य के विविध प्रतिबद्धताओं के कारण समन्वय और अभिविन्यास सम्मेलन के परे प्रशिक्षण का आयोजन नहीं हो पाया।

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
21–22 नवंबर 2019	jkT; % नगालैंड ifjn'; % अत्यधिक मौसमी घटना (जलवायु परिवर्तन) dk;Øe % राज्य–स्तरीय : • घटना मोचन प्रणाली पर प्रशिक्षण • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	नगालैंड राज्य भूकंपीय क्षेत्र V में आता है, अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भारी बारिश, आकस्मिक बाढ़, आंधी–तूफान, ओलावृष्टि, वन अग्नि आदि से भी अतिसंवेदनशील है। जबकि, 2017 और 2018 के राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास, 2019 में एक भूकंप परिदृश्य के आस–पास दर्शाया गया था, तथापि यह राज्य में हाल की आपदाओं को देखते हुए किसी अत्यधिक मौसमी घटना के अनुरुप कृत्रिम अभ्यास दर्शाने के लिए निर्णय लिया गया था। कृत्रिम अभ्यास में नगालैंड राज्य को विकसित पद्धतियों, बेहतर संचार, मानव रहित हवाई वाहन और अन्य विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए देखा। अभ्यास, का निरीक्षण कार्यवाहक मुख्य सचिव द्वारा किया गया और सभी 11 जिलों, राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, असम राइफल्स/भारतीय सेना, सीएपीएफ और बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लेते हुए देखा गया।

कोहिमा में आईआरएस और टेबल-टॉप अभ्यास पर प्रशिक्षण (21 नवंबर 2019)

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास (22 नवंबर 2019)

fnukad	jkT;] vkink ifjn`'; vkj dk;ZØe	fVIIf.k;k
    27 नवंबर 2019 28 नवंबर 2019	jkT; % त्रिपुरा ifjn`'; % भूकंप dk;ZØe % राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास : • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	त्रिपुरा, भूकंपीय क्षेत्र V में स्थित घनत्वीय राज्य है जो खराब पहुंच और कठोर स्थलाकृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। इसलिए किसी आपदा के बाद तुरंत जिला स्तर पर आंतरिक रूप से प्रतिक्रिया करना एक अनिवार्य है। वर्ष 2017 से राज्य अपनी आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहा था और इस साल कृत्रिम अभ्यास से राज्य को कुछ नए उपायों और तकनीकों को शामिल करते हुए देखा गया जिसमें बेहतर संचार, निर्माण के लिए मानव रहित हवाई वाहन, जो आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क में शामिल थे, ताकि परिस्थिति जागरूकता और 'हैम' (अमेचर) रेडियो का निर्माण किया जा सके। समग्र प्रशिक्षण का निरीक्षण श्री मनोज कुमार, कार्यवाहक मुख्य सचिव और श्री बीके साहू, प्रमुख सचिव (राजस्व) द्वारा किया गया था और सभी आठ जिलों, राज्य प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, असम राइफल्स/भारतीय सेना, सीएपीएफ, एएआई, आपातकालीन मोचन सेवा प्रणाली (ईआरएसएस), त्रिपुरा लघु उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिपुरा शिक्षा सेवाएं और कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। राज्य ने अपनी आपदा मोचन संचार नेटवर्क रिपिटर स्टेशनों के निर्माण द्वारा सुधार किया था। यह शिक्षा सेवाएं नेटवर्क को आपदा प्रबंधन में एकीकृत करने के लिए भी कार्य कर रहा है।

टेबल-टॉप अभ्यास-27 नवंबर 2019

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास-28 नवंबर 2019

STATE LEVEL MOCK EXERCISE
ON EARTHQUAKE
28th Nov, 2019
TRIPURA HAM RADIO CLUB
(A UNIT OF DISASTER AWARENESS SOCIETY)
Jointly Organised by
NDMA, Govt. of India
Revenue Department, Govt. of Tripura
SEOC Agartala, Tripura
VOLUNTEER

TEAM-2
ASSAM RIFLE
HINDI H/S SCHOOL
ASHOYNAGAR
MEDICAL AID
ORGANIZED

मीडिया ब्रीफिंग और कवरेज

Tripura Times, Agartala, Friday, November 29, 2019

lock exercise on earthquake held

News

ala, Nov 28: Tripura lies mic Zone-V. To test the edness for an earthquake the state government, in ction with the National er Management Authority, nment of India organised a ide full-scale Mock Exer- n earthquake today. ock drill started at 10.30 d continued upto 1.45pm aneously at 45 locations the state. cations were identified in tegories, such as a govern- office, a hospital, a school, ket/ industrial establish-

tion. In the mock exercise, key agencies- Tripura Police, TSR, Fire Service, PWD, Health, National Disaster Response Force (NDRF), Civil Defence, the Indian Armed Forces including the Assam Rifles, Border Security Force, CISF, CRPF, selected non-governmental organisations such as Indian Red Cross Society, Tripura Ham Radio Club and other community based organisations as well as the general public participated actively. Observers were engaged to monitor the drills at all locations. The public was advised a day prior not to panic as this is an exercise and not a real event. An appeal was also made to general public for their active participation.

As per the Incident Response System (IRS), the responders assembled at the staging areas after getting information from the state and district emergency operation centres. After briefing, they moved to the affected locations, extended search and rescue operations, provided medical first-aid and transported the casualties to hospitals for better treatments.

Other agencies also supported in debris clearance, relief operations, alternate communication setup and restoration activities etc. The drills came to an end at 1.45pm.

After the drill, debriefing was conducted by the Principal Secretary, Revenue and Brig. Kuldip Singh, NDMA, with all state and district authorities along with the response organisations. The DM and Collectors and observers offered their The gaps in the response, applicable, were noted for improvement in the next exercise.

Brig. Kuldip Singh, N opined that the performan the state in terms of mock has improved as compar last year.

The overall impression was good. He also prescribed suggestions for considerati next year's mock exercise.

STATE BANK OF INDIA
RASMECCC & SARC, Agartala
Mantri Bari Road, Agartala – 799001

POSSESSION NOTICE
FOR IMMOVABLE PROPERTIES

Dailyworld

Punjab State Power Corporation

12

Mock rescue operation drill at a school in Agartala

Tripuraindia

Disaster management holds the mock drill at Gorkhabasti Agartala

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
30 जनवरी 2020 11–12 फरवरी 2020	jkT; % अरुणाचल प्रदेश ifjn'; % भूकंप dk;Øe % राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास : • आईआरएस और समन्वय एवं अभिविन्यास सम्मेलन पर प्रशिक्षण • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	यद्यपि, अरुणाचल प्रदेश राज्य भूकंपीय क्षेत्र V में स्थित है, यहाँ बड़े और छोटे भूकंप का इतिहास रहा है, यह 2013 के बाद सबसे पहला कृत्रिम अभ्यास था। इसलिए एनडीएमए द्वारा राज्य प्रशासन, जिले, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, सीमा सड़क संगठन और सीएपीएफ को इस कृत्रिम अभ्यास के लिए अत्यधिक प्रयास किया गया था, जो क्षमता निर्माण के साथ–साथ क्षमता–प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था।

इटानगर में घटना मोचन प्रणाली और समन्वय एवं अभिविन्यास सम्मेलन पर प्रशिक्षण
(30 जनवरी 2020)

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास (11 फरवरी 2020)

महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंच की मंजूरी के लिए टीम

मंचन क्षेत्र

टास्क फोर्स की ब्रीफिंग

खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और ट्राइएज

अस्पताल की क्षमता में वृद्धि

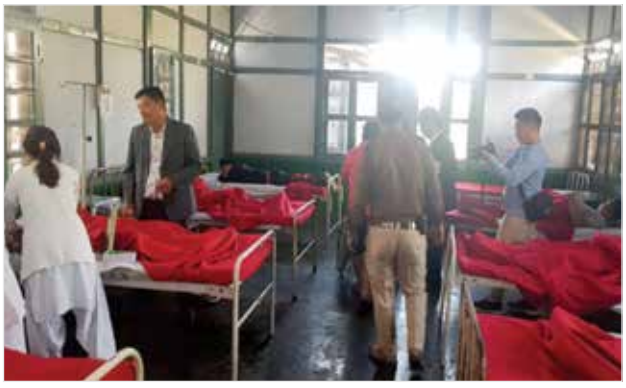

सीमा सड़क संगठन

एनडीआरएफ-सीबीआरएन प्रतिक्रिया प्रदर्शन

मीडिया कवरेज

The Arunachal Times

STATE NEWS READERS FORUM EDITORIAL RING SIDE VIEW MONDAY MUSING NORTH E

Massive mock exercise for earthquake scenario held across state

February 12, 2020

Staff Reporter

ITANAGAR, Feb 11: A massive mock exercise on steps to be taken in the event of an earthquake was conducted simultaneously in all 26 districts of the state, including the capital complex, on Tuesday.

The 'mega mock exercise' was organised by the disaster management department, in collaboration with the National Disaster Management Authority. It was supported by the State Disaster Response Force, the Indian Air Force, the Border Roads Organisation, and other stakeholders.

A coordination and orientation conference in this regard had been held on 30 January, which was followed by a 'tabletop exercise' on Monday.

As a part of Tuesday's mock exercise, an alarm for earthquake was sounded at 10 am across the state, the premise being that an earthquake of 8.5 magnitude, with its epicentre in Dibang Valley district, had hit the state.

The exercise unfolded with all stakeholders, led by the respective district administrations and line departments like the police, IPR, etc, along with Army and paramilitary forces, swinging into action.

Mock reports of damages to school buildings, hospitals, office buildings, roads and bridges started pouring in from all the districts and the capital at around 11 am. Mock casualties and injuries were also reported from all the districts and the capital.

These reports were received and compiled by the state emergency operating centre in the chief secretary's conference hall at the civil secretariat here, monitored by the response officer, in coordination with the incident commander, the deputy incident commander, the operation section chief and the liaison officer.

The top administrative officers of the state, who were made nodal officers for the mock exercise, will act as such in a real-life earthquake scenario also. A total of 816 mock casualties and 11,507 mock injuries were reported from all the districts and the capital complex.

Briefing the media on the drill, Brig Kuldip Singh said, "The aim of this entire exercise was not only to assess the capability of the state and the districts but also for everyone to demonstrate the capability of India to manage a disaster of this size in such dire situation."

"We had ensured that it is not only the whole of the state response but it's a national response. That's why you find everybody participated, from NDRF, the Air Force, Indian Army, BRO and CAPF. They all participated and assisted because it was what we call an L3 event. An L3 event is an event which is beyond the capacity of the state to manage and respond to," Brig Singh said.

He said although there were "capability void and minor void," the exercise was carried out satisfactorily overall.

Brig Singh explained some of the intricacies and situations that are expected to surface during and after an earthquake, and underscored the importance of disaster preparedness and diligent resource management.

Disaster Management Secretary Dani Salu informed that five sites – hospitals, schools, office buildings, residential campuses and bridges – were 'targeted' in every district during the mock exercise.

Disaster Management Director Abu Tayeng spoke on the gamut of activities carried out during the statewide mock exercise, and said the media and the information & public relations department – the latter was represented by Director Obang Tayeng and Deputy Director Denhang Bosai – are vital elements of such exercises.

A mock rescue operation for victims of chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) emergency was conducted by the NDRF in the secretariat complex.

GA Secretary Sadhana Deori, Finance Secretary Yeshi Wangmo Ringu, and DM Director Tayeng attended the exercise, along with officials of the secretariat. (With input from DIPR)

Articles State of the State Editorials Ads & NITs

ES Eastern Sentinel

Latest News ...s for Northeast: Khandu National C... ...sses Coldwater

Home / State

STATE PARTICIPATES IN MEGA EARTHQUAKE PREPAREDNESS EXERCISE

ITANAGAR, Feb 11: The first ever state level mega mock exercise on earthquake scenario was successfully conducted across the state on Tuesday by the National Disaster Management Authority in collaboration with the State Administration in which all the 25 districts and Capital Complex were actively involved.

The mega exercise was held under the aegis of Disaster Management Department, and as a part of the it, an alarm for earthquake was sounded at 10 am across the state and all the stakeholders led by respective district administrations and important line departments like, Police, Army, Paramilitary forces, IPR etc. swung into action. A real life earthquake scenario was created and in Itanagar, the mock exercise was conducted in five locations as affected structures/ buildings namely Gyan Ganga Vidyapeeth Chandranagar, Bridge Point Chandranagar, Residential Complex Police Colony, RK Mission Hospital and Directorate of Higher and Technical Education, ESS Sector. Once the earthquake siren went on at 1015 hrs, the District Emergency Operating Centre (DEOC) headed by DC cum Chairman DDMA immediately activated the Incident Response System and took stock of the situation through the Incident Commander via wireless communications. All emergency services were immediately informed and activated and the rescue team was put into action. During the exercise, the bridge at Chandranagar was assumed to have collapsed and traffic movement was restricted. NDRF, SDRF, Police, Ambulance, Fire services and other emergency services were engaged to carry out the rescue operation. Other simulated situations like the collapse of the building of Directorate of Higher and Technical Education was also created. Air Force was also informed and a helicopter was requisitioned to carry out recce of the affected Itanagar Capital Region as all road communication was supposedly disrupted. The seriously injured victims were treated at RKM Hospital and a relief camp was also set up at Vivekananda Hall RKM Hospital to cater to the rescuers.

DC expressed satisfaction over the entire event and lauded the performance of the teams involved including the volunteers of NCC, NSS of DNGC College, Itanagar and also the NDRF and SDRF. He thanked the denizens of the Capital Region for their cooperation in successfully carrying out the exercise and the Incident Response Team for excellent coordination and successful conduct of the exercise. He however stressed that such exercises should be conducted twice in a year so that every stakeholder is well aware of their roles. The exercise was concluded with the debriefing session by the Brigadier Kuldip Singh(Retd) from NDMA, Secretary DM Dani Salu and Director DM Abu Tayeng through video conference. Brig. Singh who was the main motivator during the whole programme enlightened the participants at the SEOC and also the district officers through video conferencing on some of the vital aspects of disaster management in the event of an earthquake and elaborately explained some of the intricacies and situations expected to surface during and after earthquake and underscored the importance of disaster preparedness and diligent resource management. The reports of damages to school buildings, hospitals, office buildings, roads and bridges started pouring-in from around 11 am from all the districts and state capital. Mock casualties and cases of injured persons were also reported from all the districts and capital city.

During the interactive meeting held at the State Emergency Operating Centre which is in Chief Secretary's conference hall in the Civil Secretariat, Secretary, Home CN Longphai, Secretary DM, Director, DM, Secretary GA Sadhana Deori, IGP Chuku Apa, Col. Gopi Krishnan, BRO, Rahul Dutta, ITBP, Director, SRSAC Haresh Krishna Dutta, SP, Fire Wing and officers from Disaster Management department were also present and while interacting with the participants touched upon some of the important and crucial facets of emergency situations and remedial measures to be adopted during an earthquake. Representatives of various important departments including Indian Air Force attended the meeting. The Department of Information and Public Relations which is a vital wing of such an exercise was represented by Director Obang Tayeng and Deputy Director Denhang Bosai.

Later on the day, while interacting with the media, Secretary DM, Director, DM and Brig.Singh briefed the media persons about the entire gamut of activities carried out during the state-wide mock exercise and urged upon the media to play a pro-active role during any earthquake scenario.

It needs mentioning that since Arunachal Pradesh along with all NE states is situated in the seismic zone-5, such mock exercises will go a long way to create awareness among the people and also keep the stakeholders in readiness to face any eventualities. DIPRO

fnukd	jkT;] vkink ifjn`'; vkj dk;Øe	fVIIkf.k;k
    04 फरवरी 2020 11 फरवरी 2020 12 फरवरी 2020	jkT; ¼ उत्तराखंड ifjn`';¼ भूकंप/रासायनिक–औद्योगिक आपदा dk;Øe ¼ राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यासः • समन्वय एवं अभिविन्यास सम्मेलन • टेबल–टॉप अभ्यास • कृत्रिम अभ्यास	भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की आवश्यकता ने औद्योगीकरण में उत्तरोत्तर में वृद्धि की है। इससे उनकी प्रक्रियाओं में खतरनाक पदार्थों (एचएजेडएमएटी)/खतरनाक रासायनों (एचएजेडसीएमईएम) का उपयोग करने वाले उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। बदले में, इसके लिए उद्योग, राज्यों और जिलों को ऑन–साइट और ऑफ–साइट आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ तैयार होने की आवश्यकता होती है।

		उत्तराखंड भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है जो उद्योग के लिए जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए उत्तराखंड प्रशासन के अनुरोध पर चार जिलों (देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल) में राज्य–स्तरीय कृत्रिम अभ्यास आयोजित की गई थी जहाँ प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) उद्योग हैं। कृत्रिम अभ्यास एक अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन और टेबल–टॉप अभ्यास से पहले की गई थी जिसकी अध्यक्षता सचिव, (आपदा प्रबंधन) ने की थी। सह–अध्यक्षता अपर सीईओ, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी। कृत्रिम अभ्यास, कई स्थानों पर एक अनुकरणीय भूकंप और एचएजेडसीएमईएम के परिणामस्वरूप रिसाव से शुरू हुआ, जिसमें एसडीएमए, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, उद्योगों के घटना मोचन टीमों और जिलों एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सशस्त्र बलों और सीएपीएफ ने भाग लिया।

समन्वय सम्मेलन

टेबल-टॉप अभ्यास

एसईओसी में गतिविधि

मुख्य सचिव और राज्य आईआरटी के साथ एसईओसी पर स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री

दृश्य-कृत्रिम अभ्यास

सशस्त्र बलों द्वारा की गई सीबीआरएन प्रतिक्रिया

डीब्रीफिंग

fnukad	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
19 फरवरी 2020	jkT; % गोवा और भारतीय तटरक्षक बल ifjn'; % महासागर में समुद्री बचाव dk;Øe % राज्य–स्तर	भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र और घटना मोचन प्रणाली और महासागर में समुद्री बचाव के दौरान इसकी अनुप्रयुक्तता पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
29 फरवरी 2020	LFkku % मुख्यालय सेंट्रल एयर कमांड, इलाहाबाद ifjn'; % संयुक्त एचएडीआर अभ्यास, भारतीय वायु सेना और म्यांमार वायु सेना dk;Øe % प्रशिक्षण–"भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र"	"भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त एचएडीआर अभ्यास (भारतीय वायु सेना और म्यांमाार वायु सेना) के सभी प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया था।

1st India-Myanmar air drill takes off at Bamrauli

fnukd	jkT;] vkink ifjn'; vkj dk;Øe	fVIkf.k;k
12 मार्च 2020 19–20 मार्च 2020	jkT; % पश्चिम बंगाल ifjn'; % रासायनिक (औद्योगिक) आपदा dk;Øe % राज्य–स्तरीय (आठ जिलों की भागीदारी) : • आईआरएस और समन्वय सम्मेलन पर प्रशिक्षण • कोविड–19 महामारी फैलने के कारण निर्धारित कृत्रिम अभ्यास आयोजित नहीं की जा सकी	आठ औद्योगिक जिलों (उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना, पूर्व मेदिनिपुर, पश्चिम वर्द्धमान, हावड़ा, हुगली, दार्जीलिंग और कोलकाता) के लिए राज्य में 19 और 20 मार्च, 2020 को रासायनिक (औद्योगिक) आपदा पर एक कृत्रिम अभ्यास निर्धारित किया गया था। कृत्रिम अभ्यास का पहला चरण–I अर्थात् 12 मार्च, 2020 को आईआरएस की प्रशिक्षण और समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दुश्यन्त नइराला, आईएएस, प्रमुख सचिव, (आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा), पश्चिम बंगाल सरकार और मेजर जनरल (डॉ.) वी.के. नायक, वरिष्ठ परामर्शदाता, एनडीएमए द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। राज्य सरकार के विभागों, जिलों के डीसी/डीएम, एनडीआरएफ, सीएपीएफ और सशस्त्र बलों सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया। तथापि, कृत्रिम अभ्यास को आकस्मिक स्थिति (कोविड–19) के कारण रद्द करना पड़ा।

वार्ता/कार्यशाला

6.5 वर्ष 2019–2020 में, एनडीएमए ने विशेष मार्गदर्शन, जागरूकता अभियान चलाए और विविध एजेंसियों और संगठनों के लिए कई मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। इनमें से कुछ नीचे उल्लिखित हैं :–

fnukad	fo"k;@dk;Øe
10 अप्रैल 2019	रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक स्वास्थ्य संचालन केंद्र, नई दिल्ली "किसी आपातकालीन संचालन केंद्र की डिजाइनिंग, निर्माण और संचालन" का मार्गदर्शन
25 अप्रैल 2019	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली में "जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मौसमी घटना और गंभीर अवसंरचना और जीवन रेखा नेटवर्क के लिए योजनान्वयन" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
30 अप्रैल 2019	भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में "आपदा प्रबंधन एवं घटना मोचन प्रणाली के लिए संस्थागत तंत्र" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
07 जून 2019	"सीबीआरएन आपातकालीन स्थिति के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क" पर सीबीआरएन आपातकालीन कार्यसमूह पर प्रस्तुतीकरण
09 जुलाई 2019	सशस्त्र बलों, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा अधिकारियों को "वर्तमान और उभरते हुए सीबीआरएन प्रकोप और सीबीआरएन आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
09 जुलाई 2019	फिक्की, नई दिल्ली में उद्योग कप्तानों को "रासायनिक औद्योगिक आपदा प्रबंधन के प्रबंधन के लिए रासायनिक औद्योगिक आपदा जोखिम बचाव उपाय और मोचन, तथा सामुदायिक तैयारी" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
01 अगस्त 2019	भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में "आपदा प्रबंधन एवं घटना मोचन प्रणाली के लिए संस्थागत तंत्र" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
28 अगस्त 2019	भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में "आपदा प्रबंधन एवं घटना मोचन प्रणाली के लिए संस्थागत तंत्र और संकट स्थिति के लिए योजनान्वयन एवं समन्वय" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
18 सितंबर 2019	भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में "आपदा प्रबंधन एवं घटना मोचन प्रणाली के लिए संस्थागत तंत्र और संकट स्थिति के लिए योजनान्वयन एवं समन्वय" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
25 सितंबर 2019	मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को" सीबीआरएन आपातकालीन स्थिति और घटना मोचन प्रणाली" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
27 सितंबर 2019	संयुक्त कल्याण अध्ययन केंद्र (सीईएनजेओडब्ल्यूएस), नई दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग के सदस्यों को "आपदा प्रबंधन में मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
07 नवंबर 2019	एलबीएसएनएए, मसूरी में सरकारी अधिकारियों को "अग्नि सुरक्षा और खोज एवं बचाव" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
05 दिसंबर 2019	सिक्किम सरकार के उद्योग कप्तानों और अधिकारियों को "रासायनिक औद्योगिक आपदा प्रबंधन–बचाव उपाय और मोचन" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
17 दिसंबर 2019	सशस्त्र बलों, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा अधिकारियों को" वर्तमान और उभरते हुए सीबीआरएन प्रकोप और सीबीआरएन आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता
12 फरवरी 2020	भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं के अधिकारियों को "सीबीआरएन आपातकालीन स्थिति और घटना मोचन प्रणाली" पर प्रस्तुतीकरण–सह–वार्ता

14 फरवरी और 02 मार्च 2020	वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्य से कृत्रिम अभ्यास और ईओसी की क्षमता निर्माण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के लिए कृत्रिम अभ्यास योजना के आयोजन के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रस्तुतीकरण और वार्ता

एसडीआरएफ का क्षमता निर्माण

6.6 विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के एसडीआरएफ के क्षमता निर्माण के लिए एनडीआरएफ के द्वारा विस्तारित समर्थन के बावजूद इस समय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशिक्षण आवश्यकता में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 के अनुसरण में, एनडीएमए ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एसडीआरएफ बढ़ाने और उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा है। इसके अलावा, सीएपीएफ के डीएम प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेश का अनुकूलन करने के लिए, इन संस्थानों में डीएम से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने की क्षमता का पता लगाया गया; सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित एसडीआरएफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की मांग की गई थी; और विभिन्न सीएपीएफ मुख्यालयों के साथ समन्वय में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एनडीएमए द्वारा रिक्तियों को उप–आवंटित किया गया था।

6.7 इस वर्ष के दौरान आपदा प्रतिक्रिया में कुल 17 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :–

Øe lŒ	ikB;Øe	lŒ vkj vofèk	'kkfey Mh,e if'k{k.k lLFkku
क.	टीओटी पाठ्यक्रम एमएफआर/सीएसएसआर	04 (03 से 06 सप्ताह)	• सीटीसी, सीआरपीएफ, कोयम्बटूर • बीआईडीआर, बीएसएफ अकेडमी, टेकनपुर, ग्वालियर • एफएसटीआई, एनआईएसए, सीआईएसएफ, हैदराबाद • एनआईटीएसआरडीआर, आईटीबीपी, भानु, पंचकुला, चंडीगढ़
ख.	बुनियादी पाठ्यक्रम एमएफआर/सीएसएसआर	10 (06 से 07 सप्ताह)	
ग.	एनबीसी/सीबीआरएन बुनियादी पाठ्यक्रम	03 (03 सप्ताह)	

6.8 एसडीआरएफ कर्मियों के प्रशिक्षण को संचालित करने की मांग की गई और निम्नलिखित ने एनडीएमए द्वारा निर्धारित क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम का लाभ उठाया :–

i	एसडीआरएफ, असम	viii	एसडीआरएफ, राजस्थान
ii	एसडीआरएफ, जम्मू एवं कश्मीर	ix	एसडीआरएफ, उत्तराखंड
iii	एसडीआरएफ, कर्नाटक	x	एसडीआरएफ, पश्चिम बंगाल
iv	एसडीआरएफ, महाराष्ट्र	xi	एसडीआरएफ, आरपीएफ, भारतीय रेल
v	एसडीआरएफ, मणिपुर	xii	दिल्ली पुलिस
vi	एसडीआरएफ, मेघालय	xiii	डीएमजी, कोलकाता पुलिस
vii	ओडीआरएएफ, ओडिशा		

एनआईएसए, सीआईएसएफ में एसडीआरएफ कार्मिकों के लिए विकीरणकीय परिशोधन प्रशिक्षण

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

6.9 नागरिक सुरक्षा संगठन भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन के विस्तृत संदर्भ में महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए इसकी नियुक्ति नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के संशोधन के माध्यम से संस्थापित किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा का दायरा "आपदा प्रबंधन" को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। नागरिक सुरक्षा संगठन, 5.4 लाख से अधिक स्वयंसेवकों के साथ वर्तमान में 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारतीय रेलवे में कार्यरत है।

6.10 एनडीएमए लगातार आपदा प्रबंधन के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संख्या के साथ–साथ क्षमताओं में वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहा है। एनडीएमए द्वारा महानिदेशक (एफएस, एचजी और सीडी), गृह मंत्रालय के सहयोग से तीन सप्ताह के पाठ्यक्रम की अवधारणा सामुदायिक स्तर पर प्रतिक्रिया संचालन के लिए अग्नि शमन और नागरिक सुरक्षा के एकीकरण की सुविधा को लक्षित करता है। यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से संचालित था और पाठ्यक्रम असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के अग्नि शमन प्रशिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए प्रति पाठ्यक्रम की लागत से प्रत्येक में 30 प्रतिभागियों के बैचों में प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2018–19 में 18 पाठ्यक्रमों में कुल 540 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वर्ष 2019–2020 में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों में 600 को प्रशिक्षित किया गया था। इनके लिए एनडीएमए ने क्रमशः 84.85 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। योजना के तहत प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

o"k 2018&2019		o"k 2019&2020	
असम	150	असम	180
आंध्र प्रदेश	210	आंध्र प्रदेश	180
कर्नाटक	120	कर्नाटक	120
ओडिशा	60	ओडिशा	120

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

6.11. lkekU; pirkouh ikVkdky ¼lh,ih½ ik;kfxd ifj;ktuk

यह परियोजना क्षेत्रीय भाषा में भौगोलिक क्षेत्र में आबादी को एसएमएस के माध्यम से अलर्ट/चेतावनियों के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी। तमिलनाडु में एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट के लिए एक अवधारणा साबित की जाएगी। 21 जनवरी, 2020 को सी–डोट को प्रायोगिक परियोजना के निष्पादन के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। परियोजना की लागत 15 करोड़ रुपए है। 16 जनवरी, 2020 को एनडीएमए और सी–डोट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.12 ikFkfedrk dky ekxl&fuèkkj.k ¼ihlhvkj½

आपदा के समय, निर्णयकर्ताओं, आपदा प्रबंधकों और प्रथम मोचकों के पास दूरसंचार नेटवर्क पर भारी भीड़ के कारण दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच नहीं हो पाती। प्राथमिकता कॉल मार्ग–निर्धारण प्रणाली आपदाओं के दौरान नेटवर्क की भीड़ के दौरान इन अधिकारियों को प्राथमिकता देते हैं। परियोजना को सी–डोट के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। सी–डोट से संशोधित तकनीकी–व्यावसायिक प्रस्ताव के लिए अपेक्षित है।

6.13 vkink tkf[ke icaèku esa vkblhVh ¼lhMhvkj fo'ys"k.k½ dk mi;kx

परियोजना का उद्देश्य आपदाओं के दौरान ग्राहक के अंतिम स्थान को खोजने के लिए मोबाइल ग्राहकों के कॉल डेटा रिकॉर्ड का उपयोग करना है। लापता व्यक्तियों का पता लगाने और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का आकलन करने में भी सहायता करेगा। प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। सी–डोट से संशोधित तकनीकी व्यावसायिक प्रस्ताव अपेक्षित है।

6.14 {kerk fuekl.k vkikrdkyhu lapkyu dsUnz ¼bvkslh½

उपकरणों की खरीद और ईओसी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समय की वित्तीय सहायता

प्रदान करके राज्यों के आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) को बेहतर बनाना परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना की लागत 5 करोड़ रुपए है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 22 राज्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर 28 नवंबर, 2019 को निधि हस्तांतरित की गई है।

6.15 vkikrdkyhu ekpu ekckby okgu ¼bZvkj,eoh½

यह परियोजना संचार उपकरणों से लैस प्रतिक्रिया वाहन के डिजाइन और विकास की परिकल्पना करती है। इन वाहनों को आपदा स्थलों पर शीघ्र तैनात किया जा सकता है ताकि आपदा स्थलों से संबंधित हितधारकों/प्रथम मोचकों को पिछड़े संचार की सुविधा मिल सके। परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए है। परियोजना का कार्यान्वयन एनडीआरएफ द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिसंबर, 2019 के महीने में एनडीएमए और एनडीआरएफ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की अवधि 18 महीने है।

6.16 oSc vkèkkfjr izf'k{k.k

परियोजना का उद्देश्य वेब आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्यक्रम के माध्यम से आपदा प्रबंधन में नागरिकों का क्षमता निर्माण करना है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

परियोजना को 98 लाख रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित कर रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 06 जनवरी, 2020 को एनडीएमए और दोनों विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की अवधि 06 महीने है।

6.17 lqHkk"k pUnz cksl vkink izcaèku iqjLdkj

वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी, 2020 को घोषित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री कुमार मुन्नन सिंह और संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रशमन एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी), उत्तराखंड ने पुरस्कार जीता है।

जागरूकता सृजन

6.18 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जन संपर्क एवं जागरूकता सृजन (पीआर एंड एजी) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किए। इनका फोकस जनता तक पहुंच कर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। इन जागरूकता अभियानों का टी.वी., रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन जागरूकता अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं :

क) किसी आसन्न आपदाओं (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि) के लिए नागरिकों को तैयार करना।

ख) आपदा की स्थितियों से बचने के लिए विभिन्न निवारक और प्रशमन उपायों पर लोगों को जानकारी तथा शिक्षा प्रदान करना।

6.19 वर्ष 2019–20 (31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए :–

दृश्य-श्रव्य और प्रिंट अभियान

6.20 सभी अभियानों का विवरण नीचे दिया गया है :–

Ø-l	o"k 2019&20 d nkjku pyk, x, fofHkUu tkx:drk vfHk;ku dk fooj.k
1	दिनांक 2/5/2019 से 6/5/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þyß पर जागरूकता अभियान
2	दिनांक 2/5/2019 से 5/5/2019 तक 04 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से ÞpØokr Qkuhß पर जागरूकता अभियान
3	दिनांक 2/5/2019 से 5/5/2019 तक 04 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से ÞpØokr Qkuhß पर जागरूकता अभियान
4	दिनांक 4/5/2019 से 13/5/2019 तक 10 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þyß पर जागरूकता अभियान
5	दिनांक 15/5/2019 से 24/5/2019 तक 10 दिनों के लिए एनडीएफसी (डिजिटल सिनेमा) के माध्यम से Þyß पर जागरूकता अभियान
6	दिनांक 15/5/2019 से 19/5/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से ÞpØokrß पर जागरूकता अभियान
7	दिनांक 29/5/2019 को डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में Þyß पर जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन
8	दिनांक 12/6/2019 से 18/6/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þyß पर जागरूकता अभियान
9	दिनांक 12/6/2019 से 16/6/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þyß पर जागरूकता अभियान
10	दिनांक 11/6/2019 से 15/6/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से ÞpØokrß पर जागरूकता अभियान
11	दिनांक 11/6/2019 से 15/6/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से ÞpØokrß पर जागरूकता अभियान
12	दिनांक 28/6/2019 से 2/7/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þck<ß पर जागरूकता अभियान
13	दिनांक 29/6/2019 से 5/7/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þck<ß पर जागरूकता अभियान
14	दिनांक 28/6/2019 से 4/7/2019 तक 07 दिनों के लिए एनएफडीसी (एफएम रेडियो) के माध्यम से Þck<ß पर जागरूकता अभियान
15	दिनांक 28/6/2019 से 7/7/2019 तक 10 दिनों के लिए एनएफडीसी (डिजिटल सिनेमा) के माध्यम से Þck<ß पर जागरूकता अभियान
16	दिनांक 1/7/2019 को डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में Þck<ß पर जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन
17	Þ'kgjh ck<ß पर चौथाई पृष्ठ रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन (06.07.2019 को प्रकाशित)
18	दिनांक 6/7/2019 से 17/7/2019 और 19/7/2019 तक 12/14 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þ'kgjh ck<ß पर जागरूकता अभियान
19	दिनांक 8/7/2019 से 21/7/2019 तक 14 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þ'kgjh ck<ß पर जागरूकता अभियान

20	दिनांक 22/7/2019 से 26/7/2019 तक 05 दिनों के लिए प्रसार भारती के माध्यम से ÞHkL[kyuß पर जागरूकता अभियान
21	दिनांक 23/7/2019 से 5/8/2019 तक 14 दिनों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से ÞHkL[kyuß पर जागरूकता अभियान
22	ÞHkL[kyuß पर चौथाई पृष्ठ रंगीन विज्ञान का प्रकाशन (28.08.2019 को प्रकाशित)
23	दिनांक 26/10/2019 से 4/11/2019 तक 10 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से ÞpØokr&ioß¼iokŸkj ekulu½ß पर जागरूकता अभियान
24	दिनांक 1/11/2019 से 7/11/2019 तक 10 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से ÞpØokr&io ¼iokŸkj ekulu½ß पर जागरूकता अभियान
25	दिनांक 21/12/2019 को डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में ÞHkdiß पर जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन
26	दिनांक 20/12/2019 से 27/12/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से ÞHkdiß पर जागरूकता अभियान
27	दिनांक 20/12/2019 से 26/12/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से ÞHkdiß पर जागरूकता अभियान
28	दिनांक 24/12/2019 को डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में Þ'khr ygjß पर जागरूकताता अभियान के लिए विज्ञापन
29	दिनांक 21/12/2019 से 27/12/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þ'khr ygjß पर जागरूकता अभियान
30	दिनांक 21/12/2019 से 28/12/2019 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þ'khr ygjß पर जागरूकता अभियान
31	दिनांक 08/1/2020 को डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में Þ'khr ygjß पर जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन
32	दिनांक 2/1/2020 से 8/1/2020 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से Þ'khr ygjß पर जागरूकता अभियान
33	दिनांक 2/1/2020 से 8/1/2020 तक 07 दिनों के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन) के माध्यम से Þ'khr ygjß पर जागरूकता अभियान

6.21 **njn'ku@vkdk'kok.kh@fMftVy flusek@futh ,Q,e jfM;k**–दूरदर्शन (राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों) और प्रसार भारती पर भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, लू और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो–वीडियो स्पॉटों का प्रसारण किया गया। प्रत्येक आपदा पर 30/40/50/60 सेकेंडों के अनेक स्पॉटों का उनसे संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में 4/5/7/10/15 दिनों के लिए एक शफलिंग बेसिस आधार पर प्रसारण किया गया। इसी प्रकार इन सभी अभियानों (सिवाय भूकंप के) को एनएफडीसी के माध्यम से डिजिटल सिनेमा और निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी चलाया गया। इन अभियानों का विवरण निम्नानुसार है :–

fiV vfHk;ku

6.22 डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न अखबारों में जागरूकता सृजन संबंधी सामग्री को प्रिंट कराकर प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया गया।

i) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और

क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में y। प्रवण इलाकों पर 29@05@2019 ¼pkFkkbl i;t½ को जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

ii) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्य आकार तथा छोटे आकार में ck<+ पर 1@07@2019 ¼pkFkkbl i;t½ (विशिष्ट रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में) को जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

iii) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्य आकार तथा छोटे आकार में 'kgjh ck< पर 06@07@2019 ¼pkFkkbl i;t½ (विशिष्ट रूप से शहरी बाढ़ प्रभावित इलाकों में) को जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

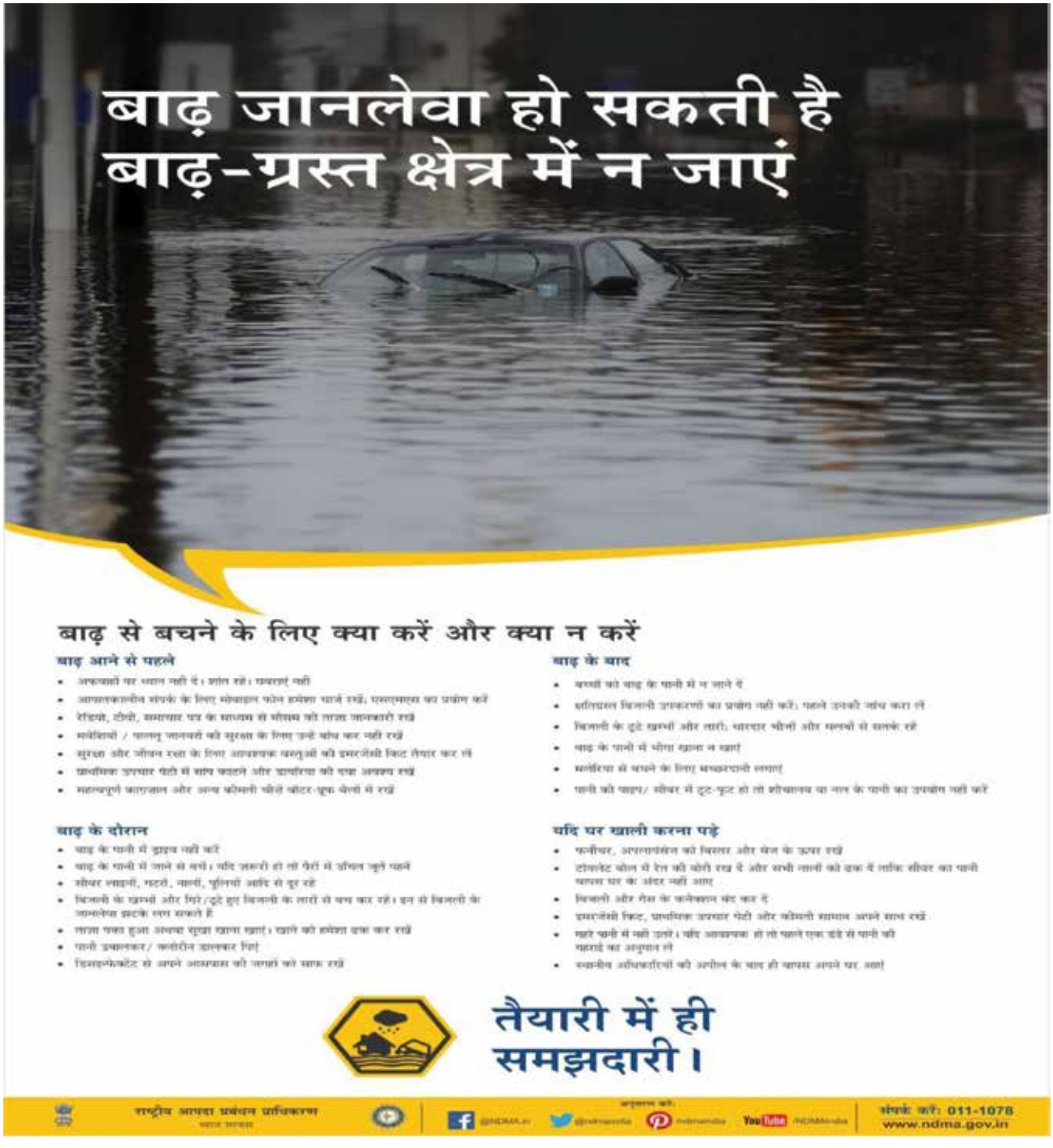

iv) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड, मेघालय, के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार के भूस्खलन–प्रवण इलाकों में HkL[kyu पर 28@08@2019 ¼pkFkkbZ i`t½ को जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

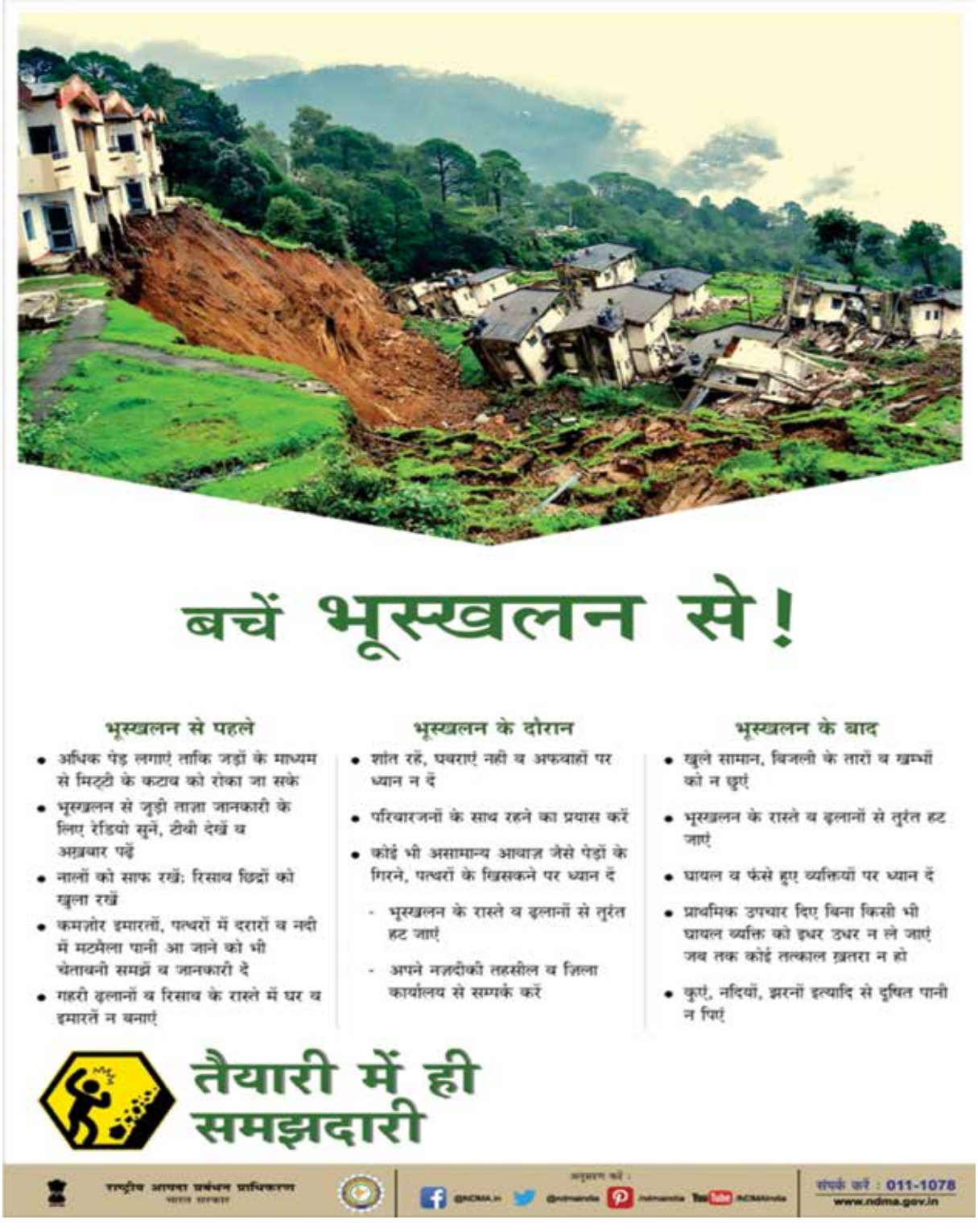

v) अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात (कच्छ जिला), हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड (गोड्डा, साहिबगंज, गिरीडीह) महाराष्ट्र (रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, संगली, पुणे), राजस्थान (अल्वर, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर) उत्तर प्रदेश के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में भूकंप–प्रवण इलाकों में Hkdi पर 21@12@2019 ¼pkFkkb&it½ जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

vi) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नगालैंड, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, असम, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, उप–हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी राजस्थान के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी,

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में शीत लहर–प्रवण इलाकों में 'khr ygj पर 24@12@2019 ¼pkFkkb&it½ को जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

भारत के उत्तरी हिस्सों में अत्यधिक ठंड होने के कारण उपर्युक्त–उल्लिखित शीत लहर–प्रवण क्षेत्रों में निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में 'khr ygj पर 8@1@2020 ¼pkFkkb&it½ को जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.23 दिनांक 27 नवंबर, 2019 को अशोका होटल, नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस समारोह पर इस साल के विषय (थीम)–"भारत में अग्नि सुरक्षा" पर बोलते हुए, श्री जी. किशन रेड्डी, ने एनडीएमए को विभिन्न आपदाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सराहना की और बधाई दी। जोखिम अधिनियम और विनियम के वैधानिक पहलुओं, स्मार्ट सिटी और अग्नि सुरक्षा, शहरी क्षेत्रों में आग से लड़ने की चुनौतियां, संस्थागत तंत्र–अपर्याप्तताएं और मुद्दे, अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री एम. वी. देशमुख, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अग्नि शमन अधिकारी संघ (एनएएफओ) ने अग्नि जोखिम, विद्यमान और उभरते परिदृश्यों पर प्रस्तुतीकरण

6.24 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत में अग्नि जोखिम, अग्नि रोकथाम और प्रशमन, संस्थागत चुनौतियों और मुद्दों, विद्यमान और उभरते परिदृश्यों, अग्नि जोखिम के लिए जलवायु परिवर्तन और इसकी निहितार्थ, रासायनिक और औद्योगिक अग्नि जोखिम, अग्नि जोखिम प्रशमन और भवनों के सुरक्षित परीक्षण के लिए योजनान्वयन–सूरत का एक मामला, अग्नि दिया था, डॉ. आरती चौधरी, अध्यक्ष, सिल्वीकल्चर, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने अग्नि जोखिम के लिए जलवायु परिवर्तन और इसकी निहितार्थ पर प्रस्तुतीकरण दिया था, श्री वरदेंद्र कोटि, समूह प्रमुख एस और ओआर–अग्नि सेवा, रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने प्रस्तुतीकरण दिया था। श्री हितेष कुमार तापड़िया, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वडोदरा ने अग्नि जोखिम प्रशमन और भवनों के

सुरक्षित परीक्षण के लिए योजनान्वयन–सूरत का एक मामले को दर्शाया, सुश्री अल्पा सेठ, प्रबंध निदेशक, वीएमएस कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने अग्नि जोखिम अधिनियम और विनियम के वैधानिक पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया था। डॉ. राजीव कथपालिया ने स्मार्ट सिटी और अग्नि सुरक्षा पर प्रस्तुतीकरण दिया था, और श्री प्रभात एस. रहांडले, निदेशक, महाराष्ट्र अग्नि शमन सेवा ने शहरी क्षेत्रों में आग से लड़ने की चुनौतियों को दर्शाया। श्री जी.सी. मिश्रा, पूर्व–निदेशक, दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने संस्थागत तंत्र–अपर्याप्तताएं और मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

6.25 श्री आर.ए. वेंकटचलम, सलाहकार, आईआईटी–जीएन. ने अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि सेवाओं और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण पर प्रस्तुतीकरण दिया था। सत्र–I में विभिन्न मुद्दों जैसे भारत में अग्नि जोखिम और सत्र–II में अग्नि रोकथाम और प्रशमन के मुद्दों पर और तकनीकी सत्र–III में संस्थागत चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की गई।

6.26 समापन भाषण देते हुए डॉ. पी.के मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने समापन समारोह के दौरान भारत में अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

6.27 इस अवसर पर, श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य, एनडीएमए ने विगत एक वर्ष के दौरान एनडीएमए द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

एनडीएमए ई-न्यूजलेटर और ब्लॉग

6.28 एक नई डिजिटल पत्रिका और एक आधिकारिक ब्लॉग, दोनों का नाम "आपदा संवाद", एनडीएमए,

एसडीएमए के प्रमुख कार्यकलापों, डीआरआर पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञों से साक्षात्कार (इंटरव्यू) आदि के बारे में हितधारकों को सूचना देने के लिए किया गया। इस पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित तथा प्रमुख मीडिया हाउसों के संपादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक रूप से साझा किया गया। इसी तरह, ब्लॉग को भी नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इनकी पहुंच को सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों के उपयोग से भी इष्टतम स्तर तक पहुंचाया जाता है।

अन्य

- एनडीएमए ने विभिन्न आपदाओं पर D;k djs vkj D;k u djs पर एक cqdyV प्रकाशित

की है जो आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषा में वितरण और प्रकाशन के लिए सभी एसडीएमए को प्रसारित की जा रही है। एनडीएमए ने अपने श्रव्य–दृश्य जागरूकता सृजन सामग्री में भाषण और श्रवण बधिरता वाले व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा को शामिल किया है।

- एनडीएमए ने (i) dkfoM&19 ij lykg (ii) D;k djsa vkSj D;k u djsa ij fMthVy cqdysV vkSj dkjkukok;jl vkSj dkfoM&19 ij ,Q,D;w भी प्रकाशित की। ये दस्तावेज एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- महत्त्वपूर्ण बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए नियमति रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

सोशल मीडिया अभियान

6.29 निवारण, प्रशमन और तैयारी से संबंधित संदेशों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इन सोशल मीडिया अभियानों में लू, बाढ़, शीत लहर, शहरी बाढ़, भूकंप, सीबीआरएन आपातकालीन परिस्थिति, प्रथम चिकित्सा सहायता, तनाव प्रबंधन, अस्पताल सुरक्षा, गैस लीकेज सुरक्षा, बिजली गिरना, अग्नि सुरक्षा और चक्रवात से संबंधित क्या करें तथा क्या न करें हिदायतें शामिल हैं। #लूसुरक्षा, #लूजागरूकता, #भूकंपसुरक्षा, #बाढ़सुरक्षा, #शहरीबाढ़, #बिजलीगिरने संबंधित सुरक्षा, #शीतलहर, #परमाणुआपातकालीन, #घरकीसुरक्षा, #रासायनिकआपातकालीनस्थिति, #चक्रवातसुरक्षा और #अग्निशमनसुरक्षा आदि हैश टैग का उपयोग किया गया है। इन हैश टैगों से एनडीएमए के सोशल मीडिया चैनलों को अत्यधिक ऑनलाइन दर्शक बढ़ाने के काम में मदद मिली।

एनडीएमए लू, शीत लहर, भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, सीबीआरएन आपातस्थिति, बाढ़, शीत दंश, बुनियादी प्रथम चिकित्सा सहायता, अस्पताल प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, घर की सुरक्षा, धुंध आदि पर 24 घंटे सातों दिन अभियान चल रहा है। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता सृजित करना है। एनडीएमए द्वारा चलाए गए इन अभियानों में चित्रात्मक संकेतों (पिक्टोरियल टेंम्पलेट्स) के माध्यम से आपदाओं पर क्या करें तथा क्या न करें की हिदायतों का प्रचार–प्रसार शामिल है। यह विविध अभियान भी चलाते हैं जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित खबरों के लिंकों, एनडीएमए ब्लॉग और आपदा संवाद (ई–पत्रिका) की अपडेटिंग शामिल हैं। 1]58]209 VohV] 283500 Qslcqd आधारित इतनी बड़ी संख्या के फॉलोअर्स के साथ एनडीएमए के आपदा जागरूकता पर अपडेटों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जाता है। संकट के समय, एनडीएमए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है और प्रभावित समुदायों की मदद करता है। किसी आपदा के दौरान प्राप्त संदेशों को सशस्त्र बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ साझा किया जाता है और तदनुसार राहत और पुनर्वास का काम किया जाता है।

जनवरी से मार्च तिमाही में कोरोनावायरस और कोविड–19 पर व्यापक अभियान चलाया गया। एनडीएमए ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे सत्यापित संचालकों द्वारा साझा किए गए महामारी की रोकथाम और नियंत्रण पर पुनः–ट्वीट मैसेज भी किया। इसके अलावा विभिन्न मीडिया से प्राप्त विभिन्न सकारात्मक, मानव रुचि कहानियों को ट्वीटर और फेसबुक पर भी प्रकाशित किया

ट्वीटर रिपोर्ट

6.30 इंप्रेशन (असर)/रीच (पहुँच): एनडीएमए के ट्वीटर और फेसबुक की अपडेटें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। न केवल यह उनके निजी खातों पर नजर आती है, बल्कि वे इन्हें आगे भी शेयर करते हैं। इस प्रकार ये अपडेटें द्वितीयक उन प्रयोक्ताओं (सेकेंडरी यूजर्स) तक भी पहुंच रही हैं

जो एनडीएमए के अकाउंट्स को फॉलो करते या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह भी इसकी अपडेटों को पढ़ रहे हैं।

ट्वीटर रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2019 को फॉलोअर्स : 95]000
- 31 मार्च, 2020 को फॉलोअर्स : 1]58]209
- c< g, Qkykvl dh l[;k % 63]209

फेसबुक रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2019 को फॉलोअर्स : 2]50]150
- 31 जनवरी, 2020 को फॉलोअर्स : 2]83]500
- c< g, Qkykvl dh l[;k % 3]330

6.31 fo'k"k lk'ky ehfM;k vfHk;ku

- vkinkvk ij [kcj

  आपदा सुरक्षा पर जागरूकता सृजन के अतिरिक्त, एनडीएमए दुर्घटनाओं जैसे हादसों पर समाचार प्रकाशित करता है। एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जैसे संगठनों द्वारा किए गए बचाव और राहत कार्यकलापों पर अपडेटों को भी प्रकाशित करता है।

  दुनिया के कोने–कोने भर से संबंधित विषयों और सूचना को भी प्रकाशित किया गया।

- Qkykvl

  एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुविख्यात मीडिया व्यक्तियों, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, कई देशों की सरकारी एजेंसियों, कई मीडिया संगठनों के सीईओ तथा सत्यापित अकाउंट धारकों द्वारा फॉलो किया जाता है।

- vU; xfrfofèk;k

  जागरूकता सृजन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पिन्ट्रेस्ट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी किया जा रहा है।

अध्याय 7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन प्रभाग और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त एवं लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह प्रभाग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क कार्य और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण

परिचित रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास आपदा विनिर्दिष्ट सूचना एनडीएमए के अधिकारियों और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है। यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। इसकी देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में प्रमुख भूमिका है। यह प्रभाग केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु–राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। यह प्रभाग आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के काम में भी शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। यह संचार, आईटी, जीआईएस के क्षेत्र में सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनकी क्षमता निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक विचार (इंटरफेस) रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायताभी उपलब्ध कराता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 21 है, जिनमें संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति की निगरानी (मॉनिटर) भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- योजना और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में, उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।
- एनडीएमए के बजट को तैयार करना तथा उसकी निगरानी (मॉनिटरिंग) करना।

7.9 एन.डी.एम.ए. के खातों (अकाउंट्स) का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है: एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट :

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए ओडीएमपी, एन.सी.आर.एम.पी. के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय तथा स्थापना प्रभार

(रुपए करोड़ में)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 19–20	संशोधित अनुमान 19–20	अंतिम अनुमान 19–20 गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2020 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	296.19	282.77	226.79	225.21
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	46.29	53.44	66.28	60.00
स्थापना प्रभार	38.16	38.15	36.06	30.66*

fVIi.kh% *lpuk ,o i:lkj.k e=ky;&Mh,ohih d: vkdM: lekfgrA

(रुपए करोड़)

अनुदान सं० 46–गृह मंत्रालय					
मुख्य शीर्ष	योजना	बजट अनुमान 19–20	संशोधित अनुमान 19–20	अंतिम अनुमान 19–20/गृह मंत्रालय से पुर्नविनियोजन	31.03.2020 तक व्यय
2245	ओडीएमपी	20.12	26.50	40.74	34.47
3601	ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी)	26.00	25.40	25.40	25.39
3602	ओडीएमपी(केंद्र शासित प्रदेशों डब्ल्यू/ओ लेगिस को जारी)	0.17	1.54	0.14	0.14
	योग क)	46.29	53.44	66.28	60.00
2245	एनसीआरएमपी (स्थापना प्रभार)	26.19	12.77	12.79	11.21
3601	एनसीआरएमपी (जी–आई–ए)	270.00	270.00	214.00	214.00
	योग ख)	296.19	282.77	226.79	225.21
2245	स्थापना प्रभार	38.16	38.15	36.06	30.66
	योग ग)	38.16	38.15	36.06	30.66
	कुल योग (क+ख+ग)	380.64	374.36	329.13	315.87

अनुबंध I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री जी.वी.वी. शर्मा	सदस्य सचिव (29.07.2019 से)
3.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)
4.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बीएआर	सदस्य (21.02.2020 से)
5.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले० जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ० मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो० एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)

10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	श्री मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)
17.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक)
18.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) एन.सी. मारवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम	सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019 तक)
19	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020 तक)

अनुबंध II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री जी.वी.वी. शर्मा सदस्य सचिव (29.07.2019 से)
2.	डॉ० प्रदीप कुमार, विशेष सचिव एवं परियोजना निदेशक [13.12.2019 से(अपराह्न)] अपर सचिव (प्रशा.) एवं परियोजना निदेशक [01.08.2017 से 13.12.2019 तक (पूर्वाह्न)]
3.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से)
4.	डॉ० वी. तिरुपुगल, अपर सचिव एवं सलाहकार (24.10.2019 से) संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (21.09.2015 से 02.07.2016) एवं (03.01.2017 से 23.10.2019)
5.	श्री रमेश कुमार गंटा, संयुक्त सचिव (प्रशा.) (01.04.2019 से)
6.	श्री संदीप पौंड्रिक, सलाहकार (प्रशमन) (01.05.2019 से)
7.	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (01.11.2017 से)
8.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, निदेशक (08.12.2015 से)
9.	लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देवरानी, संयुक्त सलाहकार (21.08.2017 से 18.10.2019 तक)
10.	डॉ० पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (06.07.2018 से) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से 05.07.2018 तक)
11.	श्री भूपिन्दर सिंह, निदेशक (27.09.2018 से) उप सचिव (25.02.2013 से)
12.	श्री योगेश्वर लाल, निदेशक (01.07.2016 से) उप सचिव (07.07.2014 से 30.06.2016 तक)
13.	श्री अनुराग राणा, संयुक्त सलाहकार (19.10.2016 से)
14.	श्री पुष्कर सहाय, संयुक्त सलाहकार (08.02.2017 से 10.05.2019)
15.	श्री विजय सिंह नेमिवाल, संयुक्त सलाहकार (31.05.2017 से)
16	कर्नल अमित खोसला, संयुक्त सलाहकार (13.11.2017 से 12.11.2019)
17.	डॉ. एस.के. जैना, संयुक्त सलाहकार (21.08.2019 से) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से 20.08.2019 तक)

18.	श्री नवल प्रकाश, संयुक्त सलाहकार (21.11.2019 से) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से 20.11.2019 तक)
19.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से 13.08.2019)
20.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से 30.04.2019)
21.	श्री तुराम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से 13.08.2019)
22.	श्री सुनील सिंह रावत, अवर सचिव (30.03.2015 से)
23.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (06.04.2015 से)
24.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव (28.03.2014 से)
25.	श्री मोहन लाल शर्मा, अवर सचिव (16.09.2016 से)
26.	श्री अभिषेक विश्वास, अवर सचिव (01.10.2019 से)
27.	अंबुज बाजपेई, अवर सचिव (07.10.2019 से)
28.	श्री ए. सच्चिदानन्दन, अवर सचिव (01.01.2019 से 30.09.2019 तक)
29.	श्री हाउसुअनथांग गुईते, अवर सचिव (01.01.2019 से 28.02.2019 तक)
30.	सुश्री आम्रपाली दीक्षित, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से 25.07.2019 तक)
31.	श्री नवीन कुमार, सहायक सलाहकार (22.07.2016 से 19.07.2019 तक)
32.	श्री कमल किशोर राव, सहायक सलाहकार (29.09.2016 से)
33.	श्री दीपक अहलावत, ड्यूटी अधिकारी (30.01.2017 से)
34.	श्री सुशील कुमार, ड्यूटी अधिकारी (13.02.2017 से)
35.	श्री अभिषेक शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.07.2019 से)

VPS Engineering Impex Pvt. Ltd.
B-4, Sector 60, Noida-201309
+91 120 4317109
e mail: marketingvps2013@gmail.com